




वार्षिक प्रतिवेदन

अप्रैल 2017 से मार्च 2018



2017-2018



संचालित- महात्मा गाँधी सेवा आश्रम , १योपुर

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय- वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1.	परियोजना का परिचय	0 3
2.	परियोजना का दृष्टिकोण	0 3
3.	परियोजना के उद्देश्य	0 3-0 4
4.	सहयोगी संगठनों की भूमिका तथा कार्य	0 4
5.	केस स्टेटस	0 5-0 8
6.	विशेष जागरूकता कार्यक्रम / इवेन्ट	0 9-3 4
7.	बेटी बचाओं- बेटी पढ़ाओं अभियान	3 5-3 9
8.	चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम	4 0-5 4
9.	ओपन हाउस प्रोग्राम	5 5-6 1
10.	जागरूकता कार्यक्रम	6 2-6 3
11.	केस स्टडी	6 4-7 0
12.	लाभान्वित बच्चों की सूची	7 0-7 8

परियोजना का परिचय:-

- आईपीएस के माध्यम से महिला बाल विकास ने 11 वीं योजना में बाल संरक्षण के लिए एक विस्तृत और व्यापक रूपरेखा तथा बच्चों के लिए सशक्त संरक्षात्मक परिवेश के सृजन हेतु एक नींव स्थापित करने की संकल्पना की है। भारत के प्रत्येक बच्चे को एक स्नेह करने वाले और पालन पोषण करने वाले परिवार की देखरेख पाने का, प्रतिष्ठा के साथ रहने का एवं बपने परिवार से अलग करने, हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण पाने का अधिकार है।
- आईपीएस, द्वारा अनेक मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को एक साथ लाया गया है और कई नई पहल की गई है। जिसके अंतर्गत चाइल्डलाइन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवा स्थापित की है।
-

1. चाइल्डलाइन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवा-

चाइल्डलाइन देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक 24घंटे 7सातों दिन आपातकालीन राष्ट्रीय फोन/पहुंच सेवा हैं जो उन्हें आपतकालीन और दीर्घ अवधि देखरेख तथा पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। कठिन परिस्थिति में रहने वाला कोई भी बच्चा या उसकी और से कोई व्यक्ति इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुंच सकता है।

भारतीय सरकार द्वारा 1999 में इस सेवा को स्थापित किया गया था और वर्तमान में यह देश के 281 शहरों तथा मध्य प्रदेश के 27 शहरों में प्रचालनरत है। देखरेख के सभी भागों में बच्चों एक संरक्षात्मक परिवेश प्रदान करने के लिए आईपीएस में सभी जिलों /शहरों तक चाइल्डलाइन सेवा के विस्तार की कल्पना की गई है। शहर के स्तर पर चाइल्डलाइन कार्यक्रम में शहर स्तरीय सलाहकार बोर्ड एक नोडल संगठन एक सहयोगी संगठन शामिल होगा। चाइल्डलाइन की स्थापना जून 1996 में हुई थी, जिसमें महिला एवं बालविकास, भारतीय सरकार, दूरभाष विभाग, स्थानीय युवा समूहों, अशाकीय संगठनों, निगमों तथा संगच्छ व्यक्तियों की सामूहिक व सक्रीय भागीदारी के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित बातावरण प्रादान करने हेतु नेटवर्क तैयार किया जाता है। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन नोडल संस्था है जिसके माध्यम से देश के समस्त चाइल्डलाइन का संचालन किया जाता है।

परियोजना का द्रष्टिकोण(Vision)

“एक बाल हितेषी राष्ट्र जो सभी बच्चों के अधिकार और संरक्षण की गारंटी देता हो। ”

परियोजना के उद्देश्य

चाइल्डलाइन 0-18 वर्ष के बालक/बालिकाओं के देखरेख व संरक्षण हेतु कार्यरत निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष तथा आउटरीच सेवा है। जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन सेवा भी प्रदान की जाती है चाइल्डलाइन 1098 पर कोई भी बालक अथवा संबंधित व्यक्ति 24 घंटे (दिन या रात) कभी भी संपर्क कर सकता है। बालक/बालिकाओं के लिए सुरक्षित नेटवर्क का निर्माण कर सहज पहुंच बनाना चाइल्डलाइन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी कई उद्देश्य हैं जो निम्न हैं।

- प्रत्येक 0 से 18 वर्ष के जलरतमंद बच्चों की मदद करना।
- यदि कोई बच्चा बीमार हो अकेला हो तो उसकी सहायता करना।
- किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो तो उसकी सहायता करना।
- कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो तो उसकी सहायता करना।
- किसी बच्चे का शोषण हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।
- 14 वर्ष से आधिक उम्र के बच्चों से काम करवा कर बच्चे को मजदूरी नहीं दी गई हो तो उसकी सहायता करना।
- रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।


सहयोगी संगठन की भूमिका तथा कार्य:- (Collaborative Organization)

- राष्ट्रीय टोल फ़ी नम्बर 1098 पर आने वाली कॉलों का उत्तर देना और देखभाल और संरक्षण की दृष्टि से जलरतमंद बच्चों के लिए बचाव और आपातकालीन सेवा का प्रावधान करना।
- 60 मिनट के अंदर बच्चों की मदद के लिये पहुंच बनाना।
- संबद्ध स्थानीय विभाग जैसे पुलिस, प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य रेलवे आदि की सहायता से बचाव तथा अन्य आउटरीच सेवाओं का सम्बन्ध करना।
- देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश करना।
- चाइल्ड हेल्पलाइन चाइल्डलाइनलाइन नम्बर 1098 के बारे में जागरूकता फैलाना।
- उन उच्च जोखिम क्षेत्रों का पता लगाने के लिए शहर मानचित्रण जहां असुरक्षित बच्चे मिलते हैं।
- दैनिक आधार पर हस्तक्षेप तथा मामला अनुवर्तन
- दैनिक आधार पर समुदाय में आउटरीच तथा जागरूकता
- नोडल संगठन को मासिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
- दैनिक आधार पर केसों के नियमित फॉलोअप देना।

केस रेटेंस

- वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 मे कुल केसों की संख्या 404 है जिसमे मेडीकल के कुल - 146 केस, एपोंसरशिप के कुल - 153 केस, प्रोटेक्शन फॉर्म अव्यूस के कुल - 22 केस, (वाइल्ड मेरिज - 03 केस, चाइल्ड बेगरी- 13 केस, फिजीकल व मेन्टल अव्यूस - 06 केस) शेल्टर के कुल - 52 केस, मिसिंग के कुल - 23 केस, डिड नोट फाइन्ड के कुल - 8 केस रजिस्टर हुये हैं।


जिसे नीचे चार्ट मे दर्पष्ट किया गया है।



- वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 मे कुल 404 केस दर्ज हुए है जिसमे अप्रैल माह मे- 33 केस, मई माह मे - 23 केस, जून माह मे- 31 केस, जुलाई माह मे- 40 केस, अगस्त माह मे- 36 केस, सितम्बर माह मे- 31 केस, अक्टूबर माह मे- 36 केस, नवम्बर माह मे- 39 केस, दिसम्बर माह मे- 31 केस, जनवरी माह मे- 32 केस, फरवरी माह मे - 34 केस, मार्च माह मे - 38 केस रजिस्टर हुए हैं।


जिसे नीचे दिये चार्ट मे दर्पष्ट किया गया है।

Cases Chart 2017-18



वार्षिक केस का विवरण महिने के अनुसार

- वर्ष 2017-2018 में कई विभिन्न कटेगरी के कुल - 404 केस दर्ज हुए हैं। अतः प्रत्येक महिने में किन-किन कटेगरी के केस दर्ज हुये वह नीचे दिये गये चार्ट के अनुसार स्पष्ट किया गया है।




केसफॉलो-अप

- वर्ष 2017-2018 मे टीम सदस्यों द्वारा 12 महिने मे **Childline Contact Center (CCC)** को कुल 984 केसों के फॉलो-अप दिये गये अतः कौन से महिने मे कितने प्रतिशत फॉलो-अप दिये गये वह नीचे दी गई चार्ट के अनुसार स्पष्ट है।

Follow-Up Chart 2017-18


■ Month ■ April ■ May ■ Jun ■ July ■ Aug ■ Sep ■ Oct ■ Nov ■ Dec ■ Jan ■ Feb ■ Mar



फोनटेस्टिंग


- वर्ष 2017-2018 मे टीम सदस्यों द्वारा कुल 1795 फोन टेस्टिंग की गई अतः कौन से महिने मे कितने फॉलो-अप दिये गये वह नीचे दी गई सारणी के अनुसार स्पष्ट है।

Phone Testing Chart 2017-18



चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों और वयस्कों के साथ आउटरीच

- चाइल्डलाइन टीम द्वारा वर्ष 2017-18 में चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा की गयी कुल आउटरीच की संख्या 1030 है जिसमें इन्डीविजुअल आउटरीच की संख्या- 910, स्मॉल ग्रुप आउटरीच की संख्या- 69, ग्रुप आउटरीच की संख्या- 22, नाइट आउटरीच की संख्या- 29 है, जो नीचे दिये चार्ट में स्पष्ट है।



जागरूकता कार्यक्रम

- चाइल्डलाइन टीम द्वारा जिले के गांवों, आदिवासी बस्तियों, स्कूलों, छात्रावासों, धार्मिक स्थल व शहर के सर्वजनिक स्थानों पर खेल-खेल, प्रदर्शनी, हस्ताक्षर अभियान, रेली, बाल फिल्म, पेन्टीग व सामान्यज्ञान प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी कई अवेयरनेस प्रोग्राम किये गये हैं।
- इस दौरान बच्चों व लोगों को चाइल्डलाइन 1098, बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, बाल योन शोषण, अच्छे-बुरे स्पर्श, बाल विवाह, बाल मजदूरी, मिश्नावृति व योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी है।

- अवेयरनेस प्रोग्राम (मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाएं)

दिनांक- 29/04/2017

स्थान - टीन सेट, बाईपास रोड श्योपुर

दिनांक 29/04/2017 को चाइल्डलाइन टीम द्वारा अक्षयतृतीय के दिन विवाह सम्मेलन में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य सम्मेलन में उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने के बारे में समझाना व चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देना था।

कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक श्री दुर्गलाल विजय, नगरपालिका अध्यक्ष श्री दौलतराम गुप्ता, जिला कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल, एस.पी. साकेत पाण्डे, एडिशनल एस.पी.

श्री मति सुमन गुर्जर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रतन सिंह गुंडिया, महिला सशक्तिकरण अधिकारी रित्यु सुमन, थाना प्रभारी स्वदेश समन तथा नागरिक व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी दी गयी उन्होंने बताया कि चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है, जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है।

इसके बाद कार्यक्रम में टीम सदस्यों द्वारा उपस्थित लोगों को बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी गयी, सम्मेलन में शासकीय कार्यों में भी मदद की गयी।



जिला कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल के साथ सम्मेलन में बच्चों की मदद करते चाइल्डलाइन टीम सदस्य



विवाह सम्मेलन में उपस्थित लोगों को चाइल्डलाइन व बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए

बाल विवाह के बारे में- टीम सदस्यों द्वारा बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह किया जाता है तो वह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह करने वाले व उसका सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही उन्हे बाल विवाह से होने वाले कुकसान के बारे में जानकारी दी गयी तथा बताया कि यदि आपको बाल

विवाह की जानकारी मिले तो आप इसकी सूचना चाइल्डलाइन के टोल फ़ोन नम्बर 1098 पर अवश्य दे चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस प्रकार की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है।

इसके अलावा उपरिथित लोगों को बताया गया कि- यदि किसी बच्चे के जबरदस्ती मजदूरी करवायी जा रही हो या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा आनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो, या कोई बच्चा कृपोषित हो, या किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गयी हो, या किसी बच्चे को स्कूल मे मारा पीटा गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के टोल फ़ोन नम्बर 1098 पर अवश्य दे। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुच जाती है।



इसी के साथ ही चाइल्डलाइन टीम पुलिस के साथ मिलकर लापता हुए बच्चों की मदद की गयी व उनको सुरक्षित परिवार तक पहुचाया गया।

● अवेयरनेस प्रोग्राम- समरकम्य

दिनांक- 20/05/2017

स्थान - पी.जी. कॉलेज श्योपुर

दिनांक 20/05/2017 को चाइल्डलाइन श्योपुर टीम ने खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बच्चों के समर कैम्प मे उपरिथित खिलाडियों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। जिसका उद्देश्य सभी को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देना तथा मुसीबत के समय स्वयं की व अन्य जरूरत मंद बच्चों की मदद करने के बारे मे समझाना था।

कार्यक्रम के प्रारंभ मे चाइल्डलाइन समन्वयक विप्लव शर्मा ने उपरिथित खिलाडियों को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए - बताया कि चाइल्डलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक परियोजना है जो कि 0 से 18वर्ष के बच्चों की मदद के लिये है।



समरकम्य के दौरान बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते टीम समन्वयक



यदि कोई बच्चा लापता हो जाये, या कोई बच्चा अनाय व अकेला हो, या यदि किसी बच्चे के साथ मार-पीट की गयी हो अथवा किसी बच्चे को स्कूल में फीस के लिये बार-बार परेशान किया जाता हो या किसी बालिकाओं के साथ स्कूल, कोचिंग, रास्ते पर किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता हो अथवा रास्ते में किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाये तो आप बच्चे की मदद के लिये चाइल्डलाइन पर इस बात की जानकारी दे सकते हैं। सूचना मिलने के 60 मिनिट के अंदर हमारी टीम उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।

योन शोषण के बारे- चाइल्डलाइन टीम द्वारा उरिथत बालिकाओं को बाल योन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके साथ घर, स्कूल, कोचिंग में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो आप इसकी जानकारी चाइल्डलाइन के टोल फ़ी नम्बर 1098 पर दे सकती हैं। चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस प्रकार के केसों में बालिका का नाम गोपनीय रखा जाता है तथा इस प्रकार के प्रकरणों में महिला टीम सदस्य द्वारा ही कार्यवाही की जाती है।

बाल मजदूरी-टीम सदस्यों द्वारा बच्चों को बाल मजदूरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है तो वह बाल मजदूरी के अन्तर्गत आता है। बाल मजदूरी एक अपराध है एसा करने वाले व्यक्ति को 6माह से 2साल तक की सजा या 20,000 से 50,000रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि आपके आस-पास बालक से मजदूरी करवाई जा रही हो या किसी बालक से जबर्दस्ती काम करवाया जा रहा हो या उसे मजदूरी के ऐसे नहीं दिये जा रहे हो तो आप उस बालक की मदद के लिये चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। हमारे द्वारा इस प्रकार की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है।



समरकेंप के दौरान चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को खेल- क्रिकेट गें



1098 नम्बर का उपयोग-इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा बच्चों को 1098 नम्बर का उपयोग करना सिखाया गया तथ बताया कि यदि आप मुसीबत में हों व आपके पास मोबाइल नहीं हो तो आप किसी अन्य व्यक्ति से भी मोबाइल लेकर 1098 नम्बर पर अपने स्थान व समस्याओं की जानकारी दे सकते हैं। इस नम्बर का उपयोग पूरे देश में 24घंटे किसी भी शहर या स्थान से किया जा सकता है इसी के साथ बताया गया कि वे किस प्रकार स्वयं की या अन्य जरूरत मंद बच्चों की मदद कर सकते हैं।

कार्यक्रम के अन्त में चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा बच्चों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी तथा बताया गया कि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या होने पर आप चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर इसकी जानकारी अवश्य दे।



● विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कार्यक्रम-

प्रदर्शनी एवंहस्ताक्षर अभियान।

दिनांक- 12/05/2017

स्थान- दीनदयाल बस स्टेंड, श्योपुर

बाल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर श्योपुर दीनदयाल बस स्टेंड पर बाल श्रम के बारे में जानकारी देते गाली चित्र प्रदर्शनी लगाई गयी तथा बालश्रम के खिलाफ आवाज उठाने के लिये लोगों को हस्ताक्षर अभियान के द्वारा प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का प्रारंभ में महात्मा गांधी आश्रम के प्रबंधक व चाइल्डलाइन के डायरेक्टर जयसिंह जादोन ने वहां उपस्थित उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध है।

बाल श्रम एक गम्भीर अपराध है एसा करने वाले व्यक्ति को सजा व जुर्माने का प्रावधान है। यदि इसके खिलाफ हम जागरूक हो जाये तो देश से बालश्रम जैसी बुराई को मिटाया जा सकता है। यदि इस प्रकार का प्रकरण आपको दिखाई दे तो आप इसकी जानकारी चाइल्डलाइन के टोल फ़ी नम्बर 1098 पर दें।



मजदूरों संग को चाइल्डलाइन व बाल मजदूरी के बारे में जागरूक करते हुए



बाल श्रम को रोकने के लिये - हस्ताक्षर अभियान

है। चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि यह एक टोल फ़ी सेवा है। जो मोबाइल मे बैलेंस न होने पर भी लगेगा क्यों कि यह आपात कालीन सेवा है। 0 से 18 वर्ष के बच्चों के उपर किसी भी तरह का अन्याय, शोषण या अपराध होने पर या बच्चों को संरक्षण की आवश्कता होने पर आप चाइल्डलाइन के 1098 पर फोन कर मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपात कालीन प्रकरणों की सूचना मिलने पर 60 मिनिट के अन्दर उस की मदद के लिये पहुंच जाती है।



चाइल्डलाइन के हस्ताक्षर अभियान मे भाग लेते मजदूर संग व बच्चे

हस्ताक्षर अभियान -इसके बादचाइल्डलाइन टीम द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान के अन्तर्गत लोगों से हस्ताक्षर करवाये गये।

● अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस- कार्यक्रम

दिनांक-21/05/2017

स्थान- महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जिला- श्योपुर

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य उपस्थित लोगों व बच्चों को चाइल्डलाइन से जोड़ना व लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम मे मानव अधिकार आयोग के जिला संयोजक श्री कैलाश पाराशर, नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक विनोद चतुर्वेदी, शहर के योग गुरु ओमप्रकाश टकसाली बेटी पद्मांशु के टीम सदस्य, क्षेत्र के महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम चाइल्डलाइन के डायरेक्टर जयसिंह जादौन द्वारा उपस्थित लोगों को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्डलाइन बच्चों की मदद के लिये- 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है, जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की ज़रूरत है।

यदि किसी बच्चे से जबर्दस्ती मजदूरी करवायी जा रही हो या बाल विवाह किया जा रहा हो या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा आनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के टोल फ़ी नम्बर 1098 पर अवश्य दे।



अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम

इस कार्यक्रम मे उपस्थित चाइल्डलाइन के समन्वयक विप्लव शर्मा द्वारा बताया गया कि चाइल्डलाइन 0 से 18 वर्ष के बच्चों की मदद के लिये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक परियोजना है।



योग के बारे लाभ के बारे मे जानकारी देते हुए

पिता की काउन्सलिंग करके उन बच्चों का भीख मांगना बन्द करवाया है। कई कृपोषित बच्चों को एन.आर.सी. मे भर्ती करवाया गया है, कई बच्चों के एडमिशन करवाये हैं तथा ज़रूरत मंद बच्चों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़वाया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा अकेला व बीमार हो, किसी बच्चे से मजदूरी करवाई जा रही है, या बालविवाह सम्बन्ध हो रहा हो, कोई बालक कृपोषित हो या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस की सूचना चाइल्डलाइन के टोल फ़ी नम्बर 1098 पर दे सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि चाइल्डलाइन टीम द्वारा कई लापता बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया

गया है। कई भीख मांगने वाले बच्चों व उनके माता



अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का अभ्यास करते हुए

शहर की योग समिति के सदस्य डॉ ओमप्रकाश टकसाली द्वारा वहां उपस्थित लोगों को कई योग आसन जैसे ताढ़ आसन, सर्प आसन, वृक्ष आसन, सिंह आसन, अनलोम विलोम आसन आदि करवाया गये।

इसके साथ ही कई और योग आसनों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारिया दी गयी।

● शिक्षा व बाल विवाह के बारे में जगरूकता कार्यक्रम

दिनांक- 11/07/2017

स्थान- दलारना जिला- श्योपुर

दिनांक 11/07/2017 को चाइल्डलाइन टीम द्वारा गांव दलारना में आंगनबाड़ी केंद्र पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें गांव के गरीब आदिवासी समुदाय की महिलाओं व बच्चों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को चाइल्डलाइन व शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना, व बालविवाह न करने के बारे में समझाना था।

सर्वप्रथम चाइल्डलाइन टीम सदस्य सलमा खान द्वारा क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह महिला बाल विकास की एक परियोजना है जो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मदद के लिये है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई बच्चा लापता हो जाये या कोई बालक अनाथ हो, या किसी बालिक बालिका का शोषण किया गया हो, किसी बच्चे से जबर्दस्ती बाल मजदूरी करवाई जा रही हो, बाल विवाह किया जा रहा हो, या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई गांव की महिलाओं को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए -टीम सदस्य बच्चा कुपोषित हो या किसी बच्चे को स्कूल में परेशान किया जा रहा हो तो उस बच्चों की मदद के लिये आप चाइल्डलाइन के ठोल फ़ी नम्बर 1098 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।





बाल विवाह व बालिका शिक्षा के बारे में जागरूक करते हुए - चाइल्डलाइन टीम

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम सदस्य सुमनलता श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित लोगों को टीम द्वारा किये गये कार्य के बारे में जानकारी दी गयी। बताया गया कि हमारे द्वारा कई लापता मिले बच्चों को उनके परिवार के बारे में पता करके सुरक्षित घर पहुंचाया गया है। कई भीख मांगने वाले बच्चों की व उनके माता पिता की काउन्सिलिंग करके उन बच्चों का भीख मांगना बन्द करवाया है। कई बच्चों का स्कूल व कॉलेज में एडमिशन करवाया गया है, कई कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी में भर्ती करवाया गया है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही करते हुए बाल विवाह को रुकवाया है।

यदि आपके गांव मे कोई जारूरत मंद बालक हो तो आप उस बच्चे की मदद के लिये चाइल्डलाइन पर सूचना आवश्य दे।

बाल विवाह - चाइल्डलाइन टीम सदस्य राजेश मीणा द्वारा उपस्थित लोगों को बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए बताया नियम के अनुसार लड़के का विवाह 21 वर्ष की उम्र के बाद व लड़की का विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद की करवाये यदि इससे कम उम्र मे विवाह किया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी मे आता है जो कि एक अपराध है एसा करने वाले या उसकी मदद करने वाले व्यक्ति को इसके लिये 2 साल की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि आपके गांव मे बाल विवाह किया जा रहा हो तो आप इस बात की सूचना चाइल्डलाइन 1098 नम्बर पर दे सकते हैं। चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस प्रकार की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है।



1 बालक व 3 बालिकाओं को स्कूल मे भर्ती करवाते हुए - चाइल्डलाइन टीम

शिक्षा के अधिकार के बारे मे - चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनोज सोनी द्वारा वहा उपस्थित आदिवासी समूह के लोगों को शिक्षा के आधिकार के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया गया तथा गांव के सभी बालक व बालिकाओं को स्कूल मे आवश्यक रूप से भर्ती करवाने के बारे में कहा गया तथा बताया कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजे जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो।

चाइल्डलाइन टीम के समझाने पर गांव के लोगों द्वारा चाइल्डलाइन टीम के साथ जाकर बालक व बालिकाओं को स्कूल मे भर्ती करवाया गया।



● स्वतंत्रता दिवस - कार्यक्रम

दिनांक- 15.08.2017

स्थान- गांधी पार्क एवं वीर सावरकर स्टेडियम, श्योपुर, गांव- मयापुर व दलारना।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा शहर के मुख्य मार्गों, स्थानों स्टेडियम व गांव मे अवेनेस प्रोग्राम किया गया जिसमे चाइल्डलाइन टीम द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक, कई गार्ड मेन्डर, कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्य, शहर के माननीय नागरिकगणो, पुलिस कर्मियो, रक्षूल टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व रक्षूल के बच्चों को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे मे जानकारी दी गयी।

सर्वप्रथम कार्यक्रम मे चाइल्डलाइन टीम एवं नागरिक गणो द्वारा गांधी पार्क से एक रेली का आयोजन किया गया जो कि शहर के मुख्य मार्गो- मेनमार्केट, बोहरा बाजार, क्षारबाग, ब्राह्मण पाडा, झामगढ़ा, भोई मोहल्ला, टोडी बाजार, खरादी बाजार से होती हुई पुनः गांधी पार्क तक पहुंची, इस रेली मे चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा रेली के दौरान मिलने वाले लोगो को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए, चाइल्डलाइन के पर्चे बाटे गये।

धजा रोहण कार्यक्रम-चाइल्डलाइन टीम द्वारा शहर के मुख्य स्थल गांधी पार्क मे धजा रोहण कार्यक्रम मे भाग लिया जहा शहर के विधायक श्री दुर्गलाल विजयवर्गीय द्वारा धजा रोहण कर अपने विचार प्रकाट किये गये।



धजा रोहण कार्यक्रम - गांधी पार्क व महात्मा गांधी सेवा आश्रम, श्योपुर

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा महात्मा गांधी सेवा आश्रम मे आयोजित ध्वजा रोहण कार्यक्रम मे भाग लिया गया। जिसमे मुख्य अतिथि रहे मानव अधिकार आयोग के जिला संयोजक कैलाश पाराशर द्वारा ध्वजा रोहण किया गया, इसके बाद चाइल्डलाइन डायरेक्टर व कैलाश पाराशर द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार प्रकट किये गये।

चाइल्डलाइन टीम द्वारा गांव के बच्चों के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम -



बालिका शिक्षा व चाइल्डलाइन के बारे मे जागरूकता रैली

बाल योन शोषण व कुपोषण के बारे मे जागरूकता कार्यक्रम -चाइल्डलाइन टीम द्वारा गांव दलारना के आंगनबाड़ी केंद्र पर गांव के बच्चों व महिलाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजा रोहण किया गया। चाइल्डलाइन की महिला टीम सदस्य सुमनलता श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित बालिकाओं व माताओं को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे मे जानकारी दी गयी।

महिला टीम सदस्य द्वारा बालिकाओं को बाल योन शोषण के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है तो आप इस की सूचना चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर अवश्य दे इस प्रकार के प्रकरण मे महिला टीम सदस्य द्वारा मदद की जाती है। इसके साथ ही बालिकाओं को गुड टच व बेड टच के बारे मे बताया गया।

स्टेडियम प्रोग्राम-स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान चाइल्डलाइन टीम द्वारा वीर सावरकर स्टेडियम मे स्कूल के बच्चों, पुलिस कर्मियों, टीचरों व उपस्थित लोगो को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकरी देते हुए बताया कि-



गांव दलारना मे बालिकाओं को बाल योनशोषण व गुड-बेड टच के बारे मे जानकारी देते हुए- चाइल्डलाइन टीम एवं सहयोगी सदस्य



विभिन्न स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे मे जानकरी देते हुए - चाइल्डलाइन टीम

चाइल्डलाइन बच्चों की मदद के लिये- 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है, जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की ज़रूरत है। यदि किसी बच्चे से जबरदस्ती मजदूरी करवायी जा रही हो या गाल विगह किया जा रहा हो या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा अनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकरी चाइल्डलाइन के टोल फ़ी नम्बर 1098 पर अवश्य दे। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।

चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विप्लव शर्मा द्वारा बताया गया कि- चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा कई लापता बच्चे, अनाथ बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चे, विकलांग बच्चे व कुपोषित बच्चों की मदद की है तथा कई बच्चों को योजना से जुड़वाया है।



चाइल्डलाइन टीम समन्वयक द्वारा बालिकाओं को जानकारी देते हुये बताया कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या छेड़छाड़ की जाती हो तो आप इसकी जानकरी चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर दे। इस प्रकार के केसों में चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिका का नाम गोपनीय रखा जाता है व बालिका की मदद महिला टीम सदस्य द्वारा की जाती है।

इसी के साथ स्कूल से सम्बंधित परेशानी जैसे स्कूल में भर्ती करवाना, बच्चों को फीस के लिये परेशान करना या बच्चों के साथ मार-पीट होने पर भी आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर अवश्य दे।

स्वच्छता अभियान-

देश में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत गांव के लोगों व बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि- हमें स्वस्थ रहने के लिये अपने घर, स्कूल, मोहल्ले व शहर में सफाई रखना चाहिये।

खुले स्थान पर शौच न करते हुए शौचालय में जाना चाहिये जिससे गंदगी व बीमारियां न फैलें। प्रतिदिन नहाना व ब्रश करना चाहिये तथा नहाने के बाद साफ सुधरे कपड़े पहनना चाहिये, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। घर के आस-पास कूड़ा कररा न फैकंते हुए कररे को कूड़ादान में डालना चाहिये। पीने के पानी कोढ़क कर रखना चाहिये, खाने से पहले एवं बाद में अच्छे से हाथ धोना चाहिये।

अवेयरनेस प्रोग्राम

(मिश्नावृति, बाल योनशोषण व बाल विवाह के बारे में)

दिनांक- 24.08.2017

स्थान- ककरधा, तहसील- कराहल, जिला-शेषपुर

दिनांक 24.08.2017 को चाइल्डलाइन टीम व महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा गांव ककरधा मे अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य उपस्थित बच्चों, महिलाओं पुरुषों को बाल विवाह व मिश्नावृति न करने के बारे मे समझाना व बाल योनशोषण व चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे मे जानकारी देना था।

कार्यक्रम मे सर्वप्रथम चाइल्डलाइन टीम समन्वयक द्वारा उपस्थित लोगो को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे मे समझाते हुए बताया कि- चाइल्डलाइन 24घंटे चलने वाली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है जो कि 0 से 18 वर्ष के जरूरत मंद बच्चो की मदद के लिये है।

यदि किसी कोई बच्चा बीमार व अकेला हो, किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो, कोई बच्चो गुम हो गया हो या छोड दिया गया हो, बच्चे के जबरदस्ती मजदूरी करवायी जा रही हो, उसका शोषण किया जा रहा हो, या स्कूल से सम्बंधित कोई समस्या हो, तो उस बालक व बालिका की मदद के लिये चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर सूचना अवश्य दे।

इसी के साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा उपस्थित लोगो को विशेष रूप से बाल विवाह, मिश्नावृति व बाल योन शोषण के बारे मे समझाया गया।



गांव की महिलाओं को बाल विवाह व बाल योन शोषण के बारे मे जगलक करते हुए-
चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विष्लव शर्मा



बच्चों को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे मे जानकारी देते हुए -चाइल्डलाइन टीम

बाल विवाह के बारे मे -बाल विवाह के बारे मे जानकारी देते हुए समझाया गया कि -बाल विवाह एक अपराध है यदि किसी लड़की का 18 वर्ष से पहले व लड़के का 21वर्ष से पहले विवाह किया जाता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है। एसा करने वाले व्यक्ति या उस विवाह मे सहयोग करने वाले सभी लोगो को सजा भी हो सकती है। कम उम्र मे विवाह करने पर बालिका के शारीरिक रूप से भी हानि होती है तथा विवाह के उपरान्त होने वाली सन्तान भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होती है।

इसके बाद टीम सदस्य द्वारा ग्रामिणों को बाल विवाह के विरोद्ध में शपत दिलवायी गयी तथा बाल विवाह की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना चाइल्डलाइन के 1098 पर देने को कहा गया तथा बताया गया कि चाइल्डलाइन पर इस प्रकार की सूचना देने वाले का नाम चाइल्डलाइन टीम द्वारा गोपनीय रखा जाता है।

भिक्षावृति के बारे में समझाते हुए- बताया कि बच्चों से भीख मांगवाना गैर कानूनी है, यदि आपको भीख मांगते हुए बच्चों मिले या फिर कोई भी व्यक्ति बच्चों से भीख मांगवा रहा हो इस बात की जानकारी हो तो आप उस बच्चे की मदद के लिये चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर सूचना आवश्य दे।



बच्चों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए



बाल योनशोषण -इस के साथ ही चाइल्डलाइन की महिला टीम सदस्य सुमनलता श्रीवास्तव द्वारा वहा उपस्थित बालिकाओं व महिलाओं को बाल योन शोषण के बारे में समझाया गया तथा बालिकाओं को बताया गया कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो आप इसकी सूचना चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर अवश्य दे। हमारे द्वारा बालिका का नाम गोपनीय रखा जाता है।

इसके साथ बालिकाओं को कहानी के माध्यम से अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में समझाया गया।

बच्चों को गुड टच व बैड टच का फर्क बताया

भास्कर संयाददाता | कराता

चाइल्ड लाइन व महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा आदिवासी ममुदाय के बालिकाओं व महिलाओं को बाल यौन शोषण से बचाने के लिए शुक्रवार को ग्राम कक्रधा में अवैरसेम कैप लगाया। जिसमें उपस्थित बालक-बालिकाओं को गुड टच और बैड टच में फँक बताया।

कक्रधा पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने सहराना बस्ती में अवैरसेम कैप लगाया। जिसमें टीम के मदस्यों ने चाइल्ड लाइन



कामकाज की जानकारी दी। टीम के मदस्यों ने बताया कि यदि गांव के किसी बच्चे को मदद की ज़रूरत हो तो आप इसकी सूचना चाइल्ड लाइन के 1098 नम्बर पर दें। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा लापता बच्चे, भीख मानने

वाले बच्चे, अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, कृपेषित व बीमार बच्चों को ज़रूरी मदद उपलब्ध कराई जाती है। उपस्थित महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। बच्चियों को प्रतिदिन स्कूल

- आवेयरनेस प्रोग्राम
(कानून के बारे में)

दिनांक - 31.08.2017

स्थान- बालिका छात्रावास, तहसील कराहल, जिला- शेषपुर

चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिकाओं को चाइल्डलाइन एवं बाल अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिये तहसील कराहल, के बालिका छात्रावासों में बाल कल्याण समिति व महिला सशक्तिकरण विभाग के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। जिसमें कराहल तहसील के कई छात्रावासों के वार्डन, शिक्षक, छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चाइल्डलाइन के टीम सदस्य सुमनलता श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातआलीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की ज़रूरत है।

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी।



बालिकाओं को चाइल्डलाइन व उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए

बाल अधिकार -

उपस्थित बालिकाओं को बाल अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए उनको

1.जीने के अधिकार

2.सुरक्षा के अधिकार, 3.विकास का अधिकार,

4. सहभागिता के अधिकार के बारे में

बताया गया।

विशेष सत्र - कानून के बारे में जानकारी-

अनिवार्य मुफ्त बाल शिक्षा अधिनियम 2009 - प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा आधार है जिस पर देश एवं प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। भारत में 14 वर्ष तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 06 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।



बच्चों को कानून के बारे में जानकारी देते हुए- चाइल्डलाइन टीम

बाल श्रम अधिनियम 1986- इस अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह अपराध माना जाता है।

जे.जे. एक्ट 1992 - इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई बाल चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उसी उम्र 6 वर्ष से कम है हो उस बालक को पुलिस स्टेशन में बन्द नहीं किया जा सकता है।

लैंगिक अपराधों से संरक्षण 2012 - चाइल्डलाइन टीम द्वारा लैंगिक अपराधों के संरक्षण एक्ट के बारे में जानकारी दी गयी तथा बताया कि इस प्रकार के केसों सुनवाई के लिये विशेष व्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है।

जिसमे बालक हित को सर्वोपरि रखा गया है तथा विशेष न्यायालय को एक वर्ष के भीतर, जहां तक संभव हो परीक्षण को पूर्ण करना होगा।

छात्र व छात्राओं को गुड टच व बैड टच के बारे मे जानकारी दी गयी व बताया गया कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाये या आपको गस्ते मे परेशान किया जाये या आपके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो तो आप इस बात की जानकारी 1098 पर अवश्य दे, चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस प्रकार के केसों मे बालिकाओं का नाम गोपनीय रखा जाता है।



मैरिज एक्ट 2006- इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय कम से कम लडके की उम्र- 21 वर्ष व लड़की की उम्र- 18 वर्ष होना अवश्यक है यदि इससे कम उम्र विवाह किया जाता है तो व अपराध माना जाता है जिसके लिये विवाह करने वाले तथा उस विवाह मे भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को भी सजा हो सकती है। इस अधिनियम के अनुसार इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 साल का कारावास और एक लाख रुपय तक अर्धदण्ड दिया जा सकता है।

● अवेयरनेस प्रोग्राम - नशा मुक्ति अभियान

दिनांक - 10/09/2017

स्थान - गांधी पार्क, श्योपुर

दिनांक 10.09.2017 को चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों मे नशे की आदत को रोकने के लिये शहर के मुख्य स्थल मांधी पार्क मे मानव शृंखला बनाकर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। जिसमे शहर के समाज सेवी व गायत्री परिवार संस्था ने भी सहयोग किया।

कार्यक्रम के दौरान श्योपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्यभानु चौहान ने नशे को समाज के लिये खतरा बताते हुए, बच्चों को नशे की आदत से दूर रहने को प्रेरित किया जाये व बच्चों की समय-समय पर काउन्सलिंग करके इस विषय मे उन्हे जागरूक बनाया जाये।

चाइल्डलाइन के डायरेक्टर जयसिंह जादौन द्वारा बताया गया कि बच्चे देश का भविष्य है तथा उनमे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। हम बच्चों मे फैल रही इस आदत को रोकने के लिये चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर की भी मदद ले करते हैं चाइल्डलाइन द्वारा बच्चों की काउन्सलिंग करके उन्हे इस बुराई से दूर रहने को प्रेरित किया जाता है।



पूर्व विधायक श्री सत्यभानु चौहान नशामुक्ति अभियान के बारे मे लोगों को जागरूक करते हुए।

इसके बाद सभी समाज सेवियों द्वारा मानव श्रांखला बनाकर नशे की आदत को रोकने के लिये जन समूह को प्रेरित किया गया साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा नशे से होने वाले घातक परिणामों को प्रदर्शित करने वाले चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया।



नशासुक्त अभियान के दौरान शहर के वरिष्ठ समाज सेवी - मानव श्रांखला बनाते हुए।

इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ समाज सेवी सत्यभानु चौहान, मानव अधिकार आयोग संयोजक कैलाश पाराशर, चाइल्डलाइन के डायरेक्टर जयसिंह जादौन, गायत्री परिवार के द्रष्टी आदित्य चौहान, मुकितबोध युवक मंडल के अध्यक्ष मिराज शर्मा व नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे

● आवेदनेस प्रोग्राम

(दशहरा मैदान- प्रदर्शनी प्रोग्राम)

चाइल्डलाइन टीम द्वारा दशहरा पर्व के दिन दशहरा मैदान में चाइल्डलाइन द्वारा प्रदर्शनी एवं जनसुविधा हेतु पानी की प्याऊ लगायी गयी प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को चाइल्डलाइन, बाल अधिकारों व बाल योनशोषण के बारे में समझाना था।

प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले के एस.डी.एम. श्री सिंडोरकर व तहसीलदार आर.एस. सेमिल द्वारा किया गया, इस अवसर पर चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विप्लव शर्मा द्वारा उनको शहर में चाइल्डलाइन द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी।

इस प्रदर्शनी को 500 से अधिक लोगों द्वारा देखा गया।



एस.डी.एम. सिंडोरकर जी व तहसीलदार आर.एस. सेमिल प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए।



एस.डी.एम. सिलडोस्कर जी व तहसीलदार आर.एस. सेमिल चाइल्डलाइन की प्रदर्शनी देखते हुए



दशहरा मैदान पर लोगों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए

इल्लाइन के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ दशहरा प्रोग्राम में आने-जाने वाले लोगों एवं विशेषकर छोटे बालक एवं बालिकाओं के लिये पेयजल व्यवस्था की गई जहां सभी टीम सदस्यों द्वारा बारी-बारी से सभी को जल पिलवाया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चाइल्डलाइन के प्रबंधक जयसिंह जादौन, मानव अधिकार आयोग जिला संयोजक कैलाश पाराशर, गायत्री परिवार से आदित्य चौहान, चाइल्डलाइन के समन्वयक विप्लव शर्मा, काउन्सलर अनामिका पाराशर, टीम सदस्य मनोज, गौरव आचार्य, सत्येन्द्र सिंह, राजेश मीणा, सुमनलता श्रीवास्तव, प्रेमचन्द्र आदि सदस्य उपस्थित रहे।



बच्चों व लोगों की पेय जल की व्यवस्था करते टीम सदस्य

अवेयरनेस प्रोग्राम- गांधी जयंती

दिनांक- 02.10.2017

स्थान - गांधी पार्क, गांव- बगवाज व मयापुर।

महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर शहर के गणमान नागरिकों एवं चाइल्डलाइन टीम द्वारा प्रभात फेरी (रेली) का आयोजन किया गया जो कि गांधी पार्क से होते हुये मुख्य चौराहा, बोहरा बाजार, छारबाग, ब्राह्मण पाड़ा, भोई मोहल्ले, खरादी बाजार गणेश बाजार से होती हुई वापस गांधी पार्क पहुँची।



जागरूकता रेली के दौरान लोगों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए

रेली के दौरान चाइल्डलाइन के टीम सदस्य द्वारा गरतों में मौजूद लोगों को चाइल्डलाइन एवं 1098 के बारे में जागरूक किया, जिसमें उपस्थित लोगों को बताया गया कि चाइल्डलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है जो कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मदद के लिये है।

इस कार्यक्रम में शहर के विधायक श्री दुर्गालाल विजयवर्गीय, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री दौलतराम गुप्ता, पूर्व विधायक सत्यभानु जी चौहान व ब्रजराज सिंह चौहान, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक व चाइल्डलाइन के डायरेक्टर श्री जयसिंह जादोन, वरिष्ठ समाजसेवी व मानव अधिकार आयोग मित्र श्री कैलाश पाराशर तथा गायत्री परिवार के प्रबंधक श्री आदित्य चौहान, एवं विभिन्न समाज सेवी समर्थाए तथा शहर के वरिष्ठ समाज सेवी, गणमान्य नागरिक व स्कूल के बच्चे शामिल हुए।



ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ व समाज सेवीयों के साथ मिलकर गरीब आदिवासी बच्चों व लोगों को वस्त्र व फल वितरण किये गये।

बच्चों/लोगों को वस्त्र व फल वितरीत किये गये।

जागरूता रेली -इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा गांव मयापुर मे लोगों व बच्चों को चाइल्डलाइन के 1098 व बालिका के शिक्षा के बारे मे जानकारी दी गयी इसके साथ ही गांव मे जागरूता रेली का आयोजन किया गया। जिसमे लोगों व बच्चों की मदद के लिये 1098 नम्बर के बारे मे बताया गया।

प्रार्थना सभा-इसके उपरान्त महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक व चाइल्डलाइन डायरेक्टर श्री जयसिंह जादोन ने सर्वधर्म प्रार्थनाकरवाई जिसमें गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन किया गया तथा टीम सदस्य द्वारा उपस्थित लोगों व बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे मे बताया व चाइल्डलाइन के पर्व बाटे गये।

वस्त्र व फल वितरण कार्यक्रम-चाइल्डलाइन टीम द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के साथ मिलकर गांव बगवाज, तहसील कराहल के लोगों को चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर व बाल विवाह के बारे मे जानकारी देते हुए व उपस्थित गरीब व आदिवासी



चाइल्डलाइन व बालिका शिक्षा के बारे मे - जागरूता रेली

4G 111 6:54 AM 99%
चाइल्डलाइन ने आदिवासी अंचल में फैलाई जागरूकता

रेली मे बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे लगाते रहे।

भारत सर्वदावान | राजस्थान
चाइल्ड लाइन की टीम आदिवासी अंचल में नियमित भूमण कर रही है। चाइल्ड लाइन ने ग्राम सभाओं में अवैरस्तम्य प्रोग्राम किया। सहजन आस्तीयों में इस कानून के जारी रखने के प्रति जागरूक किया गया। चाइल्डलाइन के सम्बन्धिक विषयों ने बताया कि पारिवारिक उपेत्ता, शोषण और घुसपैत ऐसे किनीं भी बच्चे के बारे मे तुरंत आदिवासी चाइल्ड लाइन को टोल भी नम्बर 1098 पर दी जाए। चाइल्ड लाइन रेस्पॉर्स मे 24 घंटे सक्रिय रहकर बच्चों की मदद करती है। आदिवासी अंचल मे भ्रमण पर पहुँचा चाइल्ड लाइन की इस टीम मे विवाह शरण, गरीब आचार, सलोन्द रिहाई, राजेश शरण, सुननलता आविस्तार एवं शुभम शर्मी शामिल थे।

दिनांक 17.10.2017 को ग्राम आजनोई तहसील- कराहल मे चाइल्डलाइन टीम द्वारा दिवाली के त्योहार पर कार्यक्रम किया गया जिसमे गांव की बरितयो-सहराने मे रहने वाले बच्चों व लोगों को वस्त्र व मिगर्डियां बांटकर, बच्चों के साथ दिपावली का त्यौहार मनाया गया कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों व लोगों को बाल अधिकार व चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर के प्रति जागरूक करना था।

जिसका उद्देश्य सेहरिया व आदिवासी समुदाय के लोगों व बच्चों को चाइल्डलाइन व बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना था इस कार्यक्रम मे आदिवासी समाज के लोगों, महिलाओं व बच्चों के बड़ी संख्या मे भाग लिया।

चाइल्डलाइन डायरेक्टर- जयसिंह जादोन द्वारा:- चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि चाइल्डलाइन गुमशुदा बच्चे, शोषित बच्चे, घर से भागे हुये बच्चे, जिन्हे ईलाज की जरूरत है और ऐसे बच्चे जिन्हे देखभाल एवं

सुरक्षा की जरूरत है उन बच्चों तक पहुंचकर उनको मदद करती है और विशेषकर ऐसे बालक एवं बालिकाये जिनके

साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा हो तो उन बच्चों को चाइल्डलाइन टीम द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।



आदिवासी समुदाय के लोगों व बच्चों के साथ दीवाली का त्यौहार मनाने हुए गांधी आश्रम के कार्यकर्ता



बच्चों व लोगों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए- चाइल्डलाइन डायरेक्टर जयसिंह जादोन

इसी के साथ ही बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी व बताया कि स्वस्थ्य रहने के लिये अपने आस-पास की सफाई रखना आवश्यक है।

वस्त्र व मिगर्डि वितरण कार्यक्रम- इसके पश्चात जागरूकता कार्यक्रम के अंत में चाइल्डलाइन डायरेक्टर जयसिंह जादोन, वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश पाराशर चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को वस्त्र वितरित किये एवं गांव में मिगर्डि बांटी बच्चों को गुजारे भी दिये गये। इससे पूरे गांव में खुशी का वातावरण छा गया ग्रामीणों का कहना था कि यह पहला अवसर है जब हमने यह जाना कि दीवाली पर खुशी क्या होती है कार्यक्रम के पहले फटे पुराने वस्त्रों में घूमते बच्चे नये वस्त्र एवं मिगर्डि पाकर खुशी में झूब गये।





बच्चों व लोगों को वस्त्र व मिठाईयां वितरण करते हुए- महात्मा गांधी सेवा आश्रम के कार्यकर्ता

इस अवसर पर पूर्व विधायक सत्यभानु सिंह चौहान, मानवआधिकार आयोग मित्र कैलाश पाराशर, गायत्री परिवार के सदस्य आदित्य चौहान, चौहान, नशामुकित समिति से जुगलकिशोर शर्मा, चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विष्लव शर्मा, काउंसलर अनामिका पाराशर, टीम सदस्य मनोज सोनी, गौरव आचार्य, सुमनलता, राजेश मीणा, सेक्टर सुपरवाइजर और अंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही।

चाइल्डलाइन डारेक्टर श्री जादोन व समन्वयक विष्लव शर्मा द्वारा ने इस अवसर पर ग्रामवासियों को चाइल्डलाइन टीम की ओर से दीपावली की शुभकामनाएँ दी गयी व बच्चों को भविष्य में भी चाइल्डलाइन से जुड़े रहे के बारे में कहा गया।

इस दौरान पूर्व विधायक सत्यभानु सिंह चौहान, मानवआधिकार आयोग संयोजक व वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश पाराशर, व अन्य संस्था के सदस्यों का कहना था कि महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन का यह कदम प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।

अवेयरनेस प्रोग्राम -

बालिका/ महिला अधिकार व सुरक्षा कार्यशाला/ सेमीनार

दिनांक 26.12.2017

स्थान- पुलिस लाइन, श्योपुर

दिनांक 26.12.2017 को महिला/बालिका अधिकारों व सुरक्षा के प्रति जागरूता बढ़ाने के लिये पुलिस विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें चाइल्डलाइन टीम द्वारा सहयोग किया गया। ।

इस दौरान जिले के एस.पी. डॉ. शिवदयाल सिंह, एस.डी.ओपी. महेंद्र शर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रामप्रसाद पारेता, कविता आचार्य, मानव आधिकार आयोग मित्र हनुमान तिवारी, एफ.एस.एल. अधिकारी डॉ. मनीष पाण्डे, बडोदा के एस.डी.ओपी. बी.एस. रघुवंशी, महिला सशक्तिकरण विभाग, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन टीम व पुलिस विभाग के कई अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जिले के एस.पी. डॉ. शिवदयाल सिंह द्वारा बालिका/महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए, सभी पुलिस कार्मीयों को और अधिक संवेदन शील व थानों में भी महिलाओं के लिये अच्छा वातावरण निर्मित करने की बात कही। जिससे की बालिका/महिलाएं बिना किसी संकोच के अपनी परेशानी पुलिस को बता सकें। इसके के साथ ही बालिका/ महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के बारे में कहा गया।



बालिका/ महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए- एस.पी. श्री डॉ. शिवदयाल सिंह

इसके बाद चाइल्डलाइन समन्वयक विप्लव शर्मा द्वारा उपस्थित सभी अधिकारी व समितियों को प्रोजेक्टर में माध्यम से बालिका सुरक्षा व चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी दी गयी तथा बताया कि किस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से और अधिक बालिकाओं/महिलाओं के अधिकारों व उनकी सुरक्षा कर सकते हैं।



उपस्थित पुलिस विभाग के अधिकारियों को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए- चाइल्डलाइन समन्वयक विप्लव शर्मा

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा खेल-खेल, प्रदर्शिदानी, हस्ताक्षर अभियान, रेली, बाल फिल्म, पेट्टीगा व सामाज्ञान प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी कई अवेयरने प्रोग्राम किये गये हैं। इस दौरान बच्चों व लोगों को चाइल्डलाइन 1098, उनके के अधिकारों उनकी सुरक्षा, अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी दी गयी है।

इसके साथ ही बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये जिले के गांव, आदिवासी बस्तियों, खूबूलो, छात्रावासों, धार्मिक स्थल व शहर के सर्वजनिक स्थानों पर कई ओपनहाउस प्रोग्राम किये गये हैं।

इसके साथ ही बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये जिले के गांव, आदिवासी बस्तियों, खूबूलो, छात्रावासों, धार्मिक स्थल व शहर के सर्वजनिक स्थानों पर कई ओपनहाउस प्रोग्राम किये गये हैं।



इसके बाद चाइल्डलाइन समन्वयक द्वारा उपस्थित सभी विभाग के अधिकारी व संस्थाओं से और आधिक से अधिक सहयोग करने के बारे में कहा, जिससे की हम बालिकाओं/ महिलाओं के लिये सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करा सके।

राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम

दिनांक 24.01.2018 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा पुलिस थाना मानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के साथ-साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य व चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देना था। इस दौरान चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिकाओंको बाल फिल्म दिखाई गयी। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच- हेमचन्द्र, थाना प्रथारी- डी.के. पाण्डे, ए.एस.आई.- पी.सी.दण्डोतिया, आंगनवाड़ीसुपरवाइजर- साधना राठेर, व अन्य पुलिस कर्मी व शिक्षक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चाइल्डलाइन के सदस्य मनोज सोनी द्वारा बालिकाओं को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की जल्दत है।

इसके साथ ही उपस्थित ग्रामीणों व बालिकाओं को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी।



ग्रामीणों को गुड-बेड टच के बारे में जानकारी देते हुए चाइल्डलाइन टीम सदस्य

उपयोग कब व कैसे करना है इस बारे में समझाया गया इसके साथ ही अन्य हेल्पलाइन नम्बर जैसे -पुलिस हेल्पलाइन नम्बर- 100, महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090/1091, ऐम्बुलेंस हेल्पलाइन नम्बर- 108, फायरब्रिगेड नम्बर 101, के बारे में जानकारी दी गयी तथा इनको किस प्रकार से और कब उपयोग करना है इसके बारे में बताया गया।

बाल अधिकारों के बारे में-

इसके साथ ही बालिकाओंको उनके अधिकारों 1. जीने के अधिकार, 2. सुरक्षा के अधिकार, 3. विकास के अधिकार, 4. सहभागिता के अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी तथा बताया गया कि यदि आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप इसकी सूचना चाइल्डलाइन या पुलिस को जरूर दे।

बाल फिल्म प्रोग्राम-चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिकाओं को बाल योनशोषण व अच्छे व बुरे स्पर्श को समझाने के लिये बाल फिल्म दिखाई गयी तथा फिल्म के दोरान समय-समय पर चाइल्डलाइन टीम सदस्य राजेश मीणा द्वारा अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे समझाया गया व बताया गया कि इस प्रकार की समस्या होने पर आप किस प्रकार से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं व चाइल्डलाइन एवं पुलिस को सूचना देकर उनकी मदद ले सकते हैं।

हेल्पलाइन नम्बर के बारे में-

चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनोज सोनी द्वारा बालिकाओं एवं ग्रामीणों को चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर का

विशेष सत्र - कानून के बारे में जानकारी-

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम सदस्य गौरव आचार्य द्वाराबालिकाओं को एक व सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गयी।

1. **लैगिंग अपराधों से संरक्षण 2012-गौरव आचार्य** ने कानून सम्बधित जानकारी देते हुए बताया कि लैगिंग अपराधों से संरक्षण के लिये से लैगिंग अपराध संरक्षण एकट 2012 बनाया गया है। इस के साथ ही छात्र व छात्राओं को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गयी व बताया गया कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाये या आपको रास्ते में परेशान किया जाये या आपके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो तो आप इस बात की जानकारी ठेल फी नम्बर 1098



पर अवश्य दे, चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस प्रकार के ग्रामीणों को बाल अधिकार व कानून के बारे में जागरूक करते हुए चाइल्डलाइन टीम के सदस्यों में बालिकाओं का नाम गोपनीय रखा जाता है तथा महिला टीम सदस्य द्वारा ही आपकी मदद की जायेगी।

2. **बाल विवाह अधिनियम-** इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय कम से कम लडके की उम्र- 21 वर्ष व लडकी की उम्र- 18 वर्ष होना आवश्यक है यदि इससे कम उम्र में विवाह किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। जिसके लिये विवाह करने वाले तथा उस विवाह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सजा हो सकती है।

3. **किशोर न्याय अधिनियम एकट 1992-** इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई बालक अपराध करते हुए पकड़ा जाये और उसकी उम्र 7 वर्ष से कम हो तो पुलिस द्वारा उस बालक को पुलिस स्टेशन में बन्द नहीं किये जाने का प्रबंधान है।

4. **बाल श्रम अधिनियम 1986-** इस अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति एसा करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है इसके लिये इस एकट में सजा का प्रबंधान है।

इसके पश्चात थाना प्रभारी श्री डी.के. पाण्डे द्वारा बालिकाओं को स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से करना चाहिये इस बारे में जानकारी दी गयी।

दिनांक- 26.01.2018

स्थान- वीर सावरकर स्टेडियम एवं महात्मा गांधी सेवा आश्रम श्योपुरा।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा महात्मा गांधी सेवा आश्रम में ध्वजा रोहण कार्यक्रम किया गया एवं वीर सावरकर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया जिसमें चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा, शहर के गणमान्य नगरिकों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्कूल के बच्चों को चाइल्डलाइन के उपयोग व कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी।

ध्वजा रोहण कार्यक्रम-

कार्यक्रम की शुरुआत में चाइल्डलाइन टीम द्वारा महात्मा गांधी सेवा आश्रम में ध्वजा रोहण कार्यक्रम किया गया जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री सत्यभानु चौहान द्वारा ध्वजा रोहण किया एवं उद्बोधन दिया इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व संस्था के वरिष्ठ सदस्यों- संस्था सचिव रनसिंह परमार, मानव आधिकार आयोग के जिला संयोजक कैलाश पाराशर, चाइल्डलाइन के डायरेक्टर एवं गांधी आश्रम के प्रबंधक जयसिंह जादौन, एकता परिषद के संभागीय समन्वयक रामदत्त तोमर द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने-अपने विचार प्रकट किये गये।



महात्मा गांधी सेवा आश्रम में ध्वजा रोहण करते हुए

इस दौरान बेटी पढ़ाओ केंद्र के जिला समन्वयक पुनीत शर्मा, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कार्यक्रम की समन्वयक शब्दनम अफगानी, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया।

स्टेडियम प्रोग्राम-

चाइल्डलाइन टीम द्वारा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के अवसर पर वीर सावरकर स्टेडियम में पहुंचकर वहां उपस्थित जनसमुदाय के साथ-साथ शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी दी गयी उन्हे बताया गया कि -



प्रदर्शनी में उपस्थित बच्चों को चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए

चाइल्डलाइन बच्चों की मदद के लिये- 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है, जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की ज़रूरत है।

यदि किसी बच्चे से जबरदस्ती मज़दूरी करवायी जा रही हो या बालविवाह किया जा रहा हो अथवा किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा आनाथ व बेसहारा हो, या गुम हो गया हो तो इस प्रकार के बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के टेल फ़ी नम्बर 1098 पर दे सकते हैं। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।



गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी दी गयी।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनोज सोनी ने चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वाराकर्तृत लापता बच्चों, अनाथ एवं भीख मांगने वाले बच्चों के साथ-साथ विकलांग व कुपोषित बच्चों की मदद की है तथा कई बच्चों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़वाया है।



उन्होंने बताया कि स्कूल से सम्बधित परेशानी जैसे स्कूल में भर्ती करवाने में होने वाली परेशानी, बच्चों को फीस के लिये परेशान करना या बच्चों के साथ मार-पीट होने पर भी आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर अवश्य दें।

चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विष्लव शर्मा द्वारा उपस्थित बालिकाओं को बताया कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटनाक या छेड़छाड़ की जाती हो तो आप इसकी जानकारी चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर दे। इस प्रकार के केसों में चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिका का नाम गोपनीय रखा जाता है व बलिका की मदद महिला टीम सदस्य द्वारा की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बालिकाओं को गुड ट्र व बैड ट्र के बारे में भी जानकारी दी।

दिनांक - 30/01/2018

स्थान - गांधी पार्क श्योपुर,

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, शहीद दिवस के अवसर पर गांधी पार्क से प्रारंभ होने वाली प्रभात फेरी मे चाइल्डलाइन टीम सदस्यों ने भाग लिया तथा रैली के दौरान चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए पेम्पलेट बाटे गये एवं लोगों को नशामुकित के लिये जागरूक किया गया।

रैली का समापन गांधी पार्क पर हुआ जहां सर्वधर्म प्रार्थना की गयी तथा गांधी जी के भजनों का गायन किया गया इस अवसर पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम मे प्रबंधक जयसिंह जादौन ने लोगो को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए उसके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों की भी जानकारी दी गयी तथा उपस्थित लोगों के इस कार्यों के मदद का आग्रह किया इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ-साथ महात्मा गांधी सेवा आश्रम मे वरिष्ठ सदस्य श्री सत्यभानु सिंह चौहान पूर्व विधायक, वरिष्ठ समाज सेवी एवं मानव अधिकारी आयोग के जिला संयोजक श्री कैलाश पाराशर, चाइल्डलाइन डायरेक्टर जयसिंह जादौन, चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विष्वल शर्मा एवं टीम सदस्य उपस्थित रहें।



शहर के गणमान नागरिकों के साथ मिलकर प्रभात फेरी निकाली गयी रैली के दौरान लोगो को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए पेम्पलेट बाटे गये।

महिला एवं बाल विकास की योजना - बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ

उद्देश्य -लड़कियों के लिंगानुपात मे जारी गिरावट , कन्या भूषण हत्या के रोकना, लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने, कन्या भूषण हत्या, बाल विवाह जैसी सामजिक बुराईयों के प्रति बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु

अवेयनेस प्रोग्राम-

बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ

दिनांक 09/10/2017 को महिलासशक्तिकरण, महिला बाल विकास व चाइल्डलाइन टीम द्वारा सशक्त बालिका समर्थ भारत कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओं व बेटी पढ़ाओं का संदेश देने के लिये एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना तथा समाज मे फैली हुई बुराई बालविवाह व दहेज प्रथा का विरोध करना था।

कार्यक्रम में श्योपुर क्षेत्र के विधायक श्री दुर्गलाल विजय, जिला कलेक्टर श्री पन्नालाल सोलंकी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, कविता मीणा, एस.पी. शिवदयाल सिंह गुर्जर, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, महिला एवं बालविकास अधिकारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन टीम सदस्य, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर व गणमान्य नागरिकों ने माग लिया।

इस अवसर पर विधायक श्री दुर्गलाल विजय ने आपने सम्बोधन मे कहा कि गांव मे अवसर लोग बालिकाओं को पढ़ने मे विश्वास नहीं करते हैं हमें इस सम्बंध मे लोगों को जागरूक करना चाहिये कि बालक एवं बालिकाओं मे कोई भेद नहीं है हमें बालिकाओं को भी पढ़ाई का अवसर देना चाहिये ताकि वहां भी देश के विकास मे योगदान दे सके। बालिका के पढ़ने से दो परिवारों का निर्माण होता है।



जिला के कलेक्टर श्री पन्नालाल सोलंकी ने कहा कि अवसर बचपन मे बालिका को पोषण आहार नहीं दिया जाता है जिसके कारण उनमे खून की कमी हो जाती है अतः हमारी यह जिम्मेदारी है कि उन्हे बचपन मे उत्तम आहार दिया जाये ताकि वह स्वस्थ रहे बालिकाओं को योग-व्यायाम भी करना चाहिये।



विधायक श्री दुर्गलाल विजय - बालिका सुरक्षा को लेकर शपत दिलगाई गयी।

एस.पी. शिवदयाल सिंह गुर्जर द्वारा अपने विचार प्रकट करते हुए बालिकाओं की सुरक्षा के बारे मे जानकारी दी तथा वहा उपस्थित लोगों से बालिकाओं की सुरक्षा के लिये पुलिस का सहयोग करने के लिये आनुरोध किया गया तथा लोगों से अपने आस-पास बालिकाओं के साथ किसी प्रकार का अपराध घटित होने या किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर पुलिस को सूचना अवश्य दे, पुलिस आपकी हर सम्भव मदद करेगी।

इसके साथ ही वहा उपरियत आतिथियों ने भी अपने-अपने विचार प्रकट किए, व बालिकाओं के हित व विकास के लिये सहयोग की बात कही।

शपत गृहण समारोह-

इसके बाद शपत ग्रहण कार्यक्रम में विधायक श्री दुर्गलाल विजय ने बालिका सुरक्षा को लेकर उपरियत जनों को शपत दिलाई जिसमें बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार पर मदद की बात कही गयी।

हस्ताक्षर अभियान -

इसके बाद बालिका की सुरक्षा के लिये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।



बालिका सुरक्षा के लिये हस्ताक्षर अभियान में भाग लेते चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विष्व शर्मा

अवेयरनेस प्रोग्राम

बेटी बच्चा व बेटी पढ़ाओं

दिनांक- 10/10/2017

स्थान - हीरामन सहराना, श्योपुर

दिनांक 10.10.2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा आदिवासी बस्ती व स्कूल में गांव के लोगों के साथ मिलकर चाइल्डलाइन, बालिका शिक्षा व बेटी बच्चा व बेटी पढ़ाओं के बारे में जागरूक करने के लिये अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। जिसमें गांव के समाजिक कार्यकर्ताओं, टीचर एवं बच्चों के भाग लिया।

प्रोग्राम में सर्वप्रथम चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है जो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मदद के लिये है। यदि -

1. कोई बच्चा बीमार है एवं अफेला है
2. किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत है
3. कोई बच्चा गुम हो गया हो या छोड़ दिया गया हों।
4. किसी बच्चे से बाल मजदूरी करवाई जा रही हों
5. बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो।
6. भीख मंगवाई जा रही हो।
7. कोई बच्चा कुपोषित या विकलांग हो।
8. कोई बच्चा पिट रहा हो या उसका शोषण हो रहा हों या 14 वर्ष से आधिक उम्र के बालक से काम करवाकर बच्चे को मजदूरी नहीं दी गई हो तो ऐसी स्थिति में आप चाइल्डलाइन को सूचित करें।



बच्चों को चाइल्डलाइन व बेटी बच्चाओं-बेटी पढ़ाओं के बारे में जानकरी देते हुए

**कार्यक्रम- बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ
(समान्य ज्ञान व खेल प्रतियोगिता)**

दिनांक 11.10.2017 चाइल्डलाइन टीम द्वारा सलापुरा के शा. हजारेश्वर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर मे छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्र व छात्राओं को चाइल्डलाइन व बालिका सुरक्षा व शिक्षा के प्रतिजागरक करना था। इस दौरान चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ मे चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातआलीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है, जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है।

यदि किसी बच्चे के जबरदस्ती मजदूरी कावायी जा रही हो या बाल विवाह किया जा रहा हो या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा आनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के टोल फ़्री नम्बर 1098 पर अवश्य दे। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुच जाती है।



इसके साथ ही उपस्थित छात्र-छात्राओं को 1098 नम्बर का उपयोग करना सिखाया गया।

छात्र-छात्राओं को चाइल्डलाइन के नम्बर 1098 का उपयोग करना सिखाया गया।



बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ -इसके साथ ही बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ सप्ताह के बारे मे जानकारी देते हुए बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ने व बच्चियों को भी स्कूल भेजने के बारे मे लोगों को समझाया गया तथा इसके साथ ही बालिकाओं बालयोन शोषण के बारे मे जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हो तो आप इस की सूचना चाइल्डलाइन के 1098 पर भी दे सकते हैं।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता -

चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बच्चों के साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे टीम सदस्य द्वारा छात्र-छात्राओं के कुछ ग्रुप बनाये गये तथा सभी छात्र-छात्राओं के ग्रुप से बारी- बारी से शहर, प्रदेश, देश, खेल, मनोरंजन व बच्चों के अधिकार से सम्बद्धित प्रश्न पूछे गये तथा इस प्रतियोगिता मे सर्वधिक सही जगाब देने वाले ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

चेयर रेस प्रतियोगिता-

इसके पश्चात स्कूल के बच्चों को चेयर रेस प्रतियोगिता करवाई गई जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया।



बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ सप्ताह के आन्तर्गत छात्र-छात्राओं के खेल शिल्गाये गये।

खेल के माध्यम से दी सुरक्षा की जानकारी

शेऊर = राज न्यूज नेटवर्क

चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के तीसरे दिन मलापुरा में एथलेटिक शासकीय श्री हजार धर माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं को खेल के मध्यम से स्वयं की सुरक्षा व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर के बारे में बताया। इसके साथ ही महिला टीम सदस्य द्वारा बालिकाओं को अच्छे व बुरे रसों के बारे में समझाया गया। बताया कि गौद आपके साथ ही अपन व्यवहर करे तो आप इसकी जानकारी चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर दे सकती हैं। हमारे द्वारा बालिका का नाम बोलने व रखा जाता है। इस



शेऊर पत्रिका

ग्लोबलियर, गुरुवार 12 अक्टूबर 2017

sheopur patrika

बालिकाओं को खिलाए खेल, दी सुरक्षा की जानकारी

प्रधानमंत्री नेटवर्क

दी सुरक्षा के बारे में बताया गया। श्रीवास्तव, शुभम शर्मा, शिक्षका हेमलता शर्मा, प्राचरण समनवयक विलब रिंगले एवं सिंह सिंह विकासवार, पारारार, आरामन विकासवार, पन चौहान, मीना पवार, शरि सिक्करवार, भुवनेश्वर गोरव आचार्य, राजेश मीणा, सुमनलता दयाल गोतम का सहयोग रहा।

दी सुरक्षा के बारे में बताया गया। श्रीवास्तव, शुभम शर्मा, शिक्षका हेमलता शर्मा, प्राचरण समनवयक विलब रिंगले एवं सिंह सिंह विकासवार, पारारार, आरामन विकासवार, पन चौहान, मीना पवार, शरि सिक्करवार, भुवनेश्वर गोरव आचार्य, राजेश मीणा, सुमनलता दयाल गोतम का सहयोग रहा।

दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम

चाइल्डलाइन टीम द्वारा प्रतिवर्ष नवम्बर माह में चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य बच्चों, नागरिकों, सरकारी विभागों व गैरसरकारी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को बच्चों की मदद के लिये चाइल्डलाइन से जोड़ना है। जिससे इस सभी लोगों की मदद से बेबस व बेसहारा बच्चों को लाभ दिलाया जा सके।

चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह - प्रोग्राम

दिनांक - 14.11.2017

स्थान - गांव प्यारीपुरा

उद्देश्य - बाल अधिकार व बालिका शिक्षा के बारे में विशेष सत्र

दिनांक 14.11.2017 को चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का शुभारम्भ चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा गांव प्यारीपुरा में किया गया। जिसका उद्देश्य बच्चों व गांव के लोगों को चाइल्डलाइन के बारे में जागरूक करना व ग्रामीणों को बच्चों की मदद के लिये चाइल्डलाइन से जोड़ना था।

कार्यक्रम की शुरुआत में चाइल्डलाइन के समन्वयक विप्लव शर्मा ने चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते बताया कि चाइल्डलाइन 24घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है, यह कि महिला एवं बालविकास मंत्रालय की एक परियोजना है जो कि उन बच्चों के लिये है जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है।

यदि किसी कोई बच्चा बीमार व अकेला हो, किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो, कोई बच्चा गुम हो गया हो या छोड़ दिया गया हो, बच्चे के जबरदस्ती मजदूरी करवायी जा रही हो, उसका शोषण किया जा रहा हो, किसी बच्चे से भीख मंगवायी जा रही हो, बाल विवाह किया जा रहा है तो उस बालक व बालिका की मदद के लिये चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर सूचना अवश्य दे। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंचती है।



चाइल्डलाइन के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए



चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह के बारे में जानकारी देते हुए, चाइल्डलाइन सदस्य मनोज

चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह - इसी के साथ उन्होंने बच्चों को चाइल्डलाइन के दोस्ती सप्ताह के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह 14 नवम्बर से 21 नवम्बर तक मनाया जाता है जिसमें चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों व बाल संक्षण के लिये काम कर रहे सरकारी विभागों व गैर सरकारी संस्थाओं के सभी अधिकारियों व कार्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा नागरिकों को भी चाइल्डलाइन से जोड़ा जाता है। जिससे कि चाइल्डलाइन से जुड़कर बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके।



ग्रामीणों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए- डॉयरेक्टर जयसिंह जादौन

लोगों को बच्चों की मदद के लिये चाइल्डलाइन से जुड़ने को प्रेरित किया।

चाइल्डलाइन टीम द्वारा वहा उपस्थित लोगों व बच्चों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक किया गया व लोगों को बालक व बालिकाओं को स्कूल भेजने के बारे में समझाया गया तथा बताया कि यदि किसी बच्चे को स्कूल के एडमिशन या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या आये तो आप 1098 नम्बर पर कॉल करके चाइल्डलाइन टीम की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित चाइल्डलाइन के डॉयरेक्टर जयसिंह जादौन द्वारा लोगों को कहानी व कहार्ड उदाहरणों के माध्यम से बालिका शिक्षा के लिये प्रेरित किया गया व बालक/बालिकाओं को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने के बारे में समझाया गया।

कार्यक्रम में विदेश से आये हुए महमानों ने भी भाग लिया तथा बच्चों को मुसीबत की रियति में अधिक से अधिक 1098 नम्बर पर कॉल करने के लिये समझाया गया।

विशेष शिक्षण सत्र-

गांव मे बच्चों की शैक्षणिक रियति सुधार ने व शिक्षा के बारे मे जागरूक करने के लिये चाइल्डलाइन टीम द्वारा विशेष शिक्षण सत्र लगाया गया जिसमे गांव के शिक्षकों व बालिका शिक्षा पर काम कर रहे बेटी पढ़ाओं केब्ड के समन्वयक अशोक कुमार ने भाग लिया। इस दौरान आशोक कुमार जी ने गांव के लोगों को बालिका शिक्षा के महत्व के बारे मे जानकारी दी तथा बालिका शिक्षा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मदद करने के बारे मे कहा गया। इसके साथ ही अशोक कुमार जी ने उपस्थित

दैनिक जागरण

सिटी एक्सप्रेस

दोस्ती सप्ताह में बच्चों को किया जागरूक

दिनांक - 15.11.2017

स्थान - बालिका छात्रावास, श्योपुर

उद्देश्य - बाल फ़िल्म के माध्यम से बाल योन शोषण व अच्छे एवं बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी

चाइल्डलाइन टीम द्वारा चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह के प्रोग्राम के दूसरे दिन पर बालिका छात्रावास श्योपुर में बालिका एवं शिक्षकों के साथ चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। जिसका उद्देश्य बालिकाओं को चाइल्डलाइन से जोड़ना था। इस अवसर पर चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा बाल फ़िल्म दिखाई गयी साथ ही उन्हें भोजन भी करवाया गया तथा बालिकाओं को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चाइल्डलाइन के समन्वयक विष्लव शर्मा द्वारा बालिकाओं को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है जिन्हें देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी बच्चे के जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही हो या बाल विवाह किया जा रहा हो या किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा अनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के ठोल फ़ी नम्बर 1098 पर अवश्य दें। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।



बालिकाओं को फ़िल्म के माध्यम से योन शोषण के बारे में जानकारी दी गयी।

चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह -

इसी के साथ बच्चों को चाइल्डलाइन के दोस्ती सप्ताह के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक मनाया जाता है जिसमें चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों व बच्चों के लिये काम कर रहे सरकारी विभागों व गैर सरकारी संस्थाओं के सभी अधिकारियों व कार्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा आम नागरिकों को भी चाइल्डलाइन से जोड़ा जाता है। जिससे कि सभी चाइल्डलाइन से जुड़कर बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें।

हेल्पलाइन नम्बर के बारे में -

बालिकाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर-1098, पुलिस हेल्पलाइन नम्बर- 100, महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090/1091, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नम्बर- 108, फायरबिगेड 101, के बारे में जानकारी दी गयी तथा इनको किस प्रकार से और कब उपयोग करना है इसके बारे में बताया गया।

बाल फ़िल्म प्रोग्राम- बालिकाओं को बाल योनशोषण के बारे में व अच्छे व बुरे टच को समझाने के लिये बाल फ़िल्म दिखाई गयी तथा फ़िल्म के दौरान समय-समय पर चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा समझाया गया कि इस प्रकार की समस्या होने पर आप किस प्रकार से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं व चाइल्डलाइन को सूचना देकर स्वयं की भी मदद ले सकते हैं।

भोजन कार्यक्रम-

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा शहर की गरीब बस्ती में रहने वाली बालिकाओं के साथ भी चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह मनाया गया इस दौरान बालिकाओं को दीनदयाल रसोई में भोजन करवाया गया व साथ साथ उनको गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गई -



बालिकाओं को दीनदयाल रसोई में भोजन करवाया गया तथा उन्हे गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गयी।

चाइल्डलाइन टीम काउंसलर अनामिका पाराशर- आज-कल बालिकाओं के साथ बढ़ते हुये अपराधों को देखते हुये चाइल्डलाइन टीम द्वारा गरीब आदिवासी बस्ती में रहने वाली बालिकाओं की सुरक्षा के लिये बालिकाओं को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए श्रीमति पाराशर ने बताया कि हमारे शरीर में कुछ निजी अंग होते हैं जैसे कि-छाती, हाँठ, कमर के नीचे का अंग यह हमारे निजी अंग होते हैं जिन्हे कोई दूसरा व्यक्ति हमारी झजाजत के बिना न देख सकता है और न छू सकता है। यदि छू सकती है तो सिर्फ हमारी माता पो भी जब हमें नहलाती हो या कभी हमें उन निजी अंग पर चोट लग जाती है तब डॉक्टर भी झलाज करते समय छू सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा अन्य व्यक्ति हमें नहीं छू सकता है।

यदि कोई व्यक्ति आपको गलत नीयत से छूने की कोशिश करे और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपको जोर जोर से चिल्लाना चाहिये एवं वहा से भाग जाना चाहिये। इसके बारे में अपने माता-पिता या जिन पर आप को सबसे ज्यादा भरोसा हो उन्हे बताना चाहिये। और साथ ही चाइल्डलाइन 1098 पर इस बात की शिकायत करनी चाहिये।

इसी के साथ बालिकाओं को बालयोन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके साथ स्कूल, रास्ते या घर के आपस पास किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या छेड़छड़ की जाये तो आप इसकी जानकारी चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर में अवश्य दे, इस प्रकार के केसों में चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिका का नाम गोपनीय रखा जाता है।

Dainik Jagran
ला गाना 7
में रोबोट नहीं, मुझे भी आराम की ज़रूरत : विराट
में रोबोट नहीं, मुझे भी आराम की ज़रूरत : विराट
बालिकाओं को दोस्ती सप्ताह के तहत
दीनदयाल रसोई में कराया भोजन
प्रश्नावाप्ति : बालिकाओं को दोस्ती सप्ताह के तहत रसोई में भोजन कराया गया। इस बालिकाओं को दोस्ती सप्ताह के तहत रसोई में भोजन कराया गया। इस बालिकाओं को दोस्ती सप्ताह के तहत रसोई में भोजन कराया गया। इस बालिकाओं को दोस्ती सप्ताह के तहत रसोई में भोजन कराया गया।
Sheopur Patrika
मतालियार, मुख्यमंत्री 16 सेप्टेम्बर 2017
करवाता, विजयपुर, वडोदा, लोपट
दीनदयाल रसोई में कराया भोजन, दी जानकारी

दिनांक- 16.11.2017

दिनांक 16.11.2017 को चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों की मदद करने वाले व चाइल्डलाइन का सहयोग करने वाले सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। जिसमें सभी विभाग प्रमुख व कर्मचारियों के फेंडशिप बैंड बांधे गये तथा बच्चों के हितों के लिये साथ में मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया।

पुलिस विभाग -

चाइल्डलाइन टीम द्वारा जिले के एस.पी. डॉ. शिवदयाल सिंह गुर्जर व एडिशनल एस.पी. सुमन गुर्जर से मिलकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रोग्राम 14 से 20 नवम्बर तक मनाया जा रहा है जिसमें चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों व बच्चों के लिये काम कर रहे सरकारी विभागों गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों, समाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा नागरिकों को चाइल्डलाइन से जोड़ा जाता है जिससे कि सभी मिलकर चाइल्डलाइन से जुड़कर बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके।



एस.पी. डॉ. शिवदयाल सिंह गुर्जर को चाइल्डलाइन टीम की मदद करने के लिये धन्यवाद देते हुए टीम समन्वयक विष्लव शर्मा द्वारा फेंडशिप बैंड बांधा गया।



एडिशनल एस.पी. सुमन गुर्जर को चाइल्डलाइन टीम का सहयोग करने के लिये फेंडशिप बैंड बांधते हुए - चाइल्डलाइन टीम सदस्य

इसके साथ ही टीम समन्वयक श्री विष्लव शर्मा द्वारा शहर में चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी व भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे व लापता बच्चों के लिये और अधिक सहयोग व साथ मिलकर मदद करने के बारे में निवेदन किया गया।

जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. शिवदयाल सिंह द्वारा चाइल्डलाइन टीम के कार्यों की सहराना की गयी तथा भविष्य में बच्चों से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मदद करने के बारे में आश्वासन दिया गया।

चाइल्डलाइन टीम ने पूर्व में पुलिस विभाग द्वारा की गयी मदद के लिये उन्हे धन्यवाद दिया तथा पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. शिवदयाल सिंह, एडिशनल एस.पी. सुमन गुर्जर, याना प्रभारी सुधाकर शर्मा तथा पुलिस विभाग के कॉन्सटेबलों व कर्मचारियों के फेंडशिप बैंड बांधे गये।



पुलिस विभाग के साथ चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह मनाते हुए चाइल्डलाइन टीम सदस्य

महिला सशक्तिकरण विभाग -चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह के अन्तर्गत चाइल्डलाइन टीम द्वारा जिले की महिला सशक्तिकरण टीम के साथ दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम मनाया गया जिसमें चाइल्डलाइन के नम्बर 1098 के प्रचार -प्रसार के बारे में भी बात की गयी तथा चाइल्डलाइन के नम्बर को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अंकित करवाने की बात की गयी तथा चाइल्डलाइन टीम के सहयोग करने के लिये उपरियत सभी महिला सशक्तिकरण के टीम सदस्यों को फेन्डशिप बैंड बांधे गये।

इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के अधिकारी श्री शिशु सुमन द्वारा जिले में चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की गयी तथा भविष्य में भी चाइल्डलाइन टीम को मदद करने के लिये आश्वासन दिया इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा चाइल्डलाइन टीम के साथ मिलकर बच्चों की मदद के लिये चाइल्डलाइन के समन्वयक विप्लव शर्मा को फेन्डशिप बैंड बांधा गया।



चाइल्डलाइन द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री शिशु सुमन को द्वारा चाइल्डलाइन समन्वयक विप्लव शर्मा को फेन्डशिप बैंड बांधा गया।

श्रम अधिकारी -चाइल्डलाइन टीम द्वारा श्रम विभाग की टीम के साथ चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम मनाया गया चाइल्डलाइन टीम समन्वयक श्री विप्लव शर्मा द्वारा मजदूरी करने वाले बच्चों की मदद के लिये साथ में मिलकर काम करने व बाल मजदूरी को रोकने के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा श्रम अधिकारी व श्रम निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को फेन्डशिप बैंड बांधे गये।



श्रम विभाग के अधिकारी व श्रम निरीक्षक से बच्चों की मदद के लिये सहयोग करने के उद्देश्य से फेन्डशिप बैंड बांधे गये।



बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संगीता आग्रावाल को चाइल्डलाइन टीम का सहयोग करने के लिये धन्यवाद दिया व फेंडशिप बैंड बांधे गये।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य - चाइल्डलाइन टीम द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य को भी चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गयी तथा उनको फेंडशिप बैंड बांधे गये।

बोर्ड के सदस्य श्रीमान रामप्रसाद पारेता जी द्वारा बताया गया कि जिले में चाइल्डलाइन टीम द्वारा कई बच्चों की मदद की जा रही है तथा बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके बात की जानकारी सोशल मीडिया, अखबारों व लोगों के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। बच्चों की मदद के लिये हम हमेशा चाइल्डलाइन टीम की मदद करेंगे।

बाल कल्याण समिति - चाइल्डलाइन टीम द्वारा चाइल्डलाइन से दोस्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत चाइल्डलाइन टीम का सहयोग करने वाले बाल कल्याण समिति के सदस्य व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के साथ चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह मनाया इसके साथ ही बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों से सम्बाधित कराओं में की गयी मदद के लिये धन्यवाद दिया गया। समिति की अध्यक्ष संगीता अग्रवाल द्वारा भी चाइल्डलाइन द्वारा बच्चों की मदद के लिये किये कार्यों की प्रशंसा की गयी तथा चाइल्डलाइन व बाल कल्याण समिति के आपसी ताल मेल व सहयोग को बाल संरक्षण की दिशा में अच्छा कदम बताया गया।



चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह- प्रोग्राम (पेन्टिंग व सामाज्यज्ञान प्रतियोगिता)

चाइल्डलाइन टीम द्वारा चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम रायपुरा के शा.मा.विद्यालय में बच्चों एवं शिक्षकों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसका उद्देश्य गांव के बच्चों व शिक्षकों को चाइल्डलाइन से जोड़ना था। इस अवसर पर जिसमें चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा पेन्टिंग व सामाज्यज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें खूब के सभी बालक व बालिकाओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चाइल्डलाइन के समन्वयक विष्लव शर्मा द्वारा बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है जिन्हे देखभाल व सुरक्षा की जरूरत है।



चाइल्डलाइन व दोस्ती सप्ताह के बारे में जानकारी देते हुए- टीम सदस्य

यदि किसी बच्चे के जबरदस्ती मजदूरी कावायी जा रही हो या बाल विवाह किया जा रहा हो अथवा किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा आनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के ठोल फ़ी नम्बर 1098 पर अवश्य दे। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।



चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम -

इसी के साथ बच्चों को चाइल्डलाइन के दोस्ती सप्ताह के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक मनाया जाता है जिसमें चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों व बच्चों के लिये काम कर रहे सरकारी विभाग व गैर सरकारी संस्थाओं के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा आम जन को भी चाइल्डलाइन से जोड़ा जाता है। ताकि चाइल्डलाइन के साथ मिलकर, चाइल्डलाइन से जुड़कर बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें।

पेटिंग प्रतियोगिता:- इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ पेटिंग व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया इस दौरान चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को गुप्त में बैठाया गया तथा बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के वित्र बनाकर उसमें रंग भरे गये। इसके बाद स्कूल में प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा बच्चों के चित्रों की जांच की गयी व जिसमें बालिका सोनल प्रथम स्थान पर रही।



छात्र -छात्राएं पेटिंग प्रतियोगिता के भाग लेते हुए

सामाज्य ज्ञान प्रतियोगिता -

चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बच्चों के लिये सामाज्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें टीम सदस्य द्वारा छात्र व छात्राओं के कुछ गुप्त बनाये गये तथा सभी छात्र छात्राओं के गुप्त से बारी- बारी से सामाज्यज्ञान से सम्बंधित से सम्बंधित प्रश्न पूछे गये तथा प्रतियोगिता में सर्वाधिक सही जबाब देने वाले गुप्त ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।



प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान लाने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण करते हुए

विजेता बालक एवं बालिका को किया पुरस्कृत :-

इसके पश्चात चाइल्डलाइन टीम द्वारा चित्रकला एवं सामाज्यज्ञान प्रतियोगिता के पश्चात विजेताओं को चाइल्डलाइन टीम द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार विद्यालय के प्राचार्य ओ.पी. भाटिया प्रदान किये गये।

प्रचार्य श्री भाटिया ने चाइल्डलाइन द्वारा बालसंरक्षण की दिशा में किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए इन कार्यों मे मदद करने का आश्वासन दिया।



स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए बताए नियम

बाबौदा, 17 नवंबर, 2017
द. मा. विजेतावान में बना प्रृष्ठा 1, प्राप्ति 25, क्रमांक 22 | 18 नवंबर, 2017 | भारतीय, कुमार पाता उन्नासना, 2017 | विजयपुर > कराड़ान > रघुनाथपुर > वीरपुर > मानपुर > दांतरदा

प्राचार्यों को दोस्ती का इजहार
ना बनाए रखाए रखी औ वे इस से जो बातें चढ़ाते हैं उनमें आज के दिन भी सभी को बताया न दें। ऐसा अब नहीं हो सकता कि आपका बच्चा आप को बदल के दिन आ जाए।
बच्चों को दोस्ती का इजहार करने वाले बच्चों को बदल के दिन आ जाने से बचाए जाएं। बच्चों को बदल के दिन आ जाने से बचाए जाएं। इस से जो बातें चढ़ाते हैं उनमें आज के दिन भी सभी को बताया न दें।

चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह- प्रोग्राम (कानून एवं एकट से सम्बद्धित जानकारी व जन्मदिवस)

चाइल्डलाइन टीम द्वारा चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका छात्रावास में बालिकाओं को कानून एवं बालअधिकारों के बारे में जानकारी दी गई व बालिका का जन्म उत्सव मनाया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चाइल्डलाइन के समन्वयक विष्लव शर्मा द्वारा बच्चों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्डलाइन 24 घण्टे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवा है। यह महिला एवं बालविकास मंत्रालय की परियोजना है। जो कि 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिये है जिन्हें देखभाल व सुरक्षा की ज़रूरत है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी बच्चे से जबर्दस्ती मजदूरी करवायी जा रही हो या बाल विवाह किया जा रहा हो अथवा किसी बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो या कोई बच्चा अनाथ व बेसहारा हो, या कोई बच्चा गुम हो गया हो तो उस बच्चे की मदद के लिये आप इस बात की जानकारी चाइल्डलाइन के टोल फ़ी नम्बर 1098 पर अवश्य दे। हमारी टीम सूचना मिलने के 60 मिनिट के अन्दर उस बच्चे की मदद के लिये पहुंच जाती है।



छात्राओं को दोस्ती सप्ताह व चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए

दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम -

इसी के साथ बच्चों को चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक मनाया जाता है जिसमें चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों व बच्चों के लिये काम कर रहे सरकारी विभागों व गैर सरकारी संस्थाओं के सभी अधिकारियों व कार्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा आम जन को भी चाइल्डलाइन से जोड़ा जाता है। जिससे सभी चाइल्डलाइन से जुड़कर बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके।



बालिका का जन्म उत्सव कार्यक्रम मनाते हुए

जन्म दिवस कार्यक्रम-

चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिकाओं के उत्साहवर्धन व उनको चाइल्डलाइन से जोड़ने के लिये बलिका का जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया गया इसके साथ ही उनको बालिकाओं को स्वयं को सुरक्षित करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गयी।

विशेष सत्र - कानून के बारे में जानकारी-

टीम सदस्य श्रीमति सुमनलता सुमन द्वारा बालिकाओं को उनके अधिकारों व एकट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें उनको बाल अधिकारों 1.जीने का अधिकार, 2.सुरक्षा का अधिकार, 3.विकास का अधिकार, 4. सहभागिता का अधिकार प्राप्त है।

लैंगिंक अपराधो से संरक्षण 2012 - चाइल्डलाइन टीम द्वारा लैंगिंक अपराधो के संरक्षण एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए छत्र व छात्राओं को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गयी व बताया गया कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाये या आपको रास्ते में परेशान किया जाये या आपके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो तो आप इस बात की जानकारी 1098 पर अवश्य दे, चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस प्रकार के केसों में बालिकाओं का नाम गोपनीय रखा जाता है।



छात्राओं को गुड टच- बैड टच के बारे में जानकारी दी गयी।

मैरिज एक्ट- इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय कम से कम लड़के की उम्र- 21 वर्ष व लड़की की उम्र- 18 वर्ष होना आवश्यक है यदि इससे कम उम्र में विवाह किया जाता है तो वह अपराध माना जाता है जिसके लिये विवाह करने वाले तथा उस विवाह में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को सजा हो सकती है।

अनिवार्य मुफ्त बाल शिक्षा अधिनियम 2009 - प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा आधार है जिस पर देश एवं प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है भारत में 14 वर्ष तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है जिसके अंतर्गत 06 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

जे.जे. एक्ट 1992 - इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई बालक अपराध करता हुआ पकड़ा गया और उसकी उम्र 7 वर्ष से कम हो तो उस बालक को पुलिस स्टेशन में बब्द नहीं किया जा सकता है।

बाल श्रम अधिनियम 1986- इस अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति एसा करता है तो यह अपराध माना जाता है।

इन अधिकारों के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी दी गई एवं बताया गया कि यदि आप के इन अधिकारों में से किसी आधिकार का अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप तुरंत चाइल्डलाइन के 1098 हेल्पलाइन पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं।

चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह- प्रोग्राम

प्रदर्शनी व हस्ताक्षर अभियान

दिनांक- 19.11.2017

स्थान - गांधी पार्क गुलम्बर, श्योपुर

चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह के अन्तर्गत चाइल्डलाइन श्योपुर व महिला सशक्तिकरण की टीम द्वारा गांधी पार्क श्योपुर पर चाइल्डलाइन, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बेटी पढ़ाओं से सम्बंधित प्रदर्शनी लगायी गयी। जिसे बड़ी संख्या में नागरिकों ने देखा तथा इसकी प्रशंसा की।

इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, बाल योनशोषण से पीड़ित बच्चों की मदद करने मदद करने के लिये चाइल्डलाइन से जुड़ने के बारे में कहा गया।

इस कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमति कविता मीणा, महिला सशक्तिकरण अधिकारी रिशु सुमन, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संगीता अग्रवाल व सदस्य, थाना प्रभारी सुनील खेमरिया, सब ईस्पेक्टर अंजली शर्मा, चाइल्डलाइन के डॉयरेक्टर जयसिंह जादौन व शहर के कई समाज सेवी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष कविता मीणा ने रिबिन काट कर किया तथा उपस्थित सभी अतिथि व नगरिकों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तत्य पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमाति कविता मीणा जी द्वारा वहां उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि छोटी उम्र में बच्चों से काम करवाना, कम उम्र में विवाह करना या बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाना अपराध है तथा मैं भी संकल्प लेती हूं कि जहां भी एसे बच्चे मिलेंगे मैं 1098 पर इसकी जानकारी दूंगी।



चाइल्डलाइन की प्रदर्शनी का उदघाटन करते हुए जिला पंचायत की अध्यक्ष कविता मीणा अतिथि व नगरिकों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तत्य पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमाति कविता मीणा जी द्वारा वहां उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि छोटी उम्र में बच्चों से काम करवाना, कम उम्र में विवाह करना या बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाना अपराध है तथा मैं भी संकल्प लेती हूं कि जहां भी एसे बच्चे मिलेंगे मैं 1098 पर इसकी जानकारी दूंगी।



जिला पंचायत की अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण अधिकारी व बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष चाइल्डलाइन की प्रदर्शनी को देखते हुए

चाइल्डलाइन के डायरेक्टर जयसिंह जादौन ने वहा उपस्थित लोगों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए चाइल्डलाइन द्वारा जिले में किये गये कार्यों के बारे में अवगत कराया।

महिला सशक्तिकरण अधिकारी - श्री रिशुसुमन नेगाल योन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों के लिये चल रही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि आप चाइल्डलाइन टीम की मदद से भी अपने बच्चों को इस योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं।

बाल कल्याण समिति- वहा उपस्थित बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमति संगीता अग्रवाल ने द्वारा लोगों को बाल योन शोषण से के बारे में जानकारी देते हुए पोस्टर के बारे में जानकारी दी गयी। किसी भी प्रकार का शोषण होने पर इस की सूचना चाइल्डलाइन के टोलफ्री नम्बर 1098 पर देने को कहा गया।





चाइल्डलाइन की प्रदर्शनी व हस्ताक्षर अभियान मे भाग लेते हुए थाना प्रभारी श्री सुनील खेमरिया

थाना प्रभारी- प्रदर्शनी मे उपस्थित नगर निरीक्षक थाना प्रभारी सुनील खेमरिया ने उपस्थित लोगो को बच्चों की सुरक्षा के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की मुसीबत मे होने पर चाइल्डलाइन 1098 व पुलिस का 100 नम्बर पर जानकारी प्रदान कर उन्होने चाइल्डलाइन टीम के साथ मिलकर बच्चों की मदद करने के बारे मे भी लोगों से आग्रह किया।

हस्ताक्षर अभियान -इसके के साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा भिक्षावृत्ति, बाल योन शोषण, बाल श्रम से पीड़ित बच्चों की मदद के लिये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमे उपस्थित सभी अतिथियो, समाजसेवी कार्यकर्ता, व बच्चों ने हस्ताक्षर कर अभियान मे सहयोग का अश्वासन दिया।



बच्चों की मदद के लिये चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान मे भाग लेते हुए - जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमति कविता मीणा, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, चाइल्डलाइन डॉयरेक्टर व नगरिकगण।

चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम

दिनांक- 20.11.2017

स्थान- रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टेण्ड, बस स्टेण्ड

कार्यक्रम- चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम (रेलवे स्टेशन, बस व ऑटो पर पैम्पलेट, पोस्टर व बैनर लगाये गये।)

चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर के रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टेण्ड, बस स्टेण्ड व सार्वजनिक स्थानो मे लोगो को चाइल्डलाइन के प्रति जागरूक करने व बच्चो की मदद के लिये लोगो को चाइल्डलाइन से जोड़ने के उद्देश्य से रेल, ऑटो एवं बसो पर चाइल्डलाइन के पंम्पलेट्स व बैनर चिपकाये गये एवं लोगो को चाइल्डलाइन के बारे में जागरूक किया गया।

रेलवे स्टेशन में किया जागरूक :-

सर्वप्रथम चाइल्डलाइन टीम ने शहर के रेलवे स्टेशन पर रेलवे के कार्मचारियों को चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के बारे में स्टेशन मास्टर व अन्य सभी कार्मचारियों को जानकारी तथा चाइल्डलाइन बच्चों की मदद के लिये चाइल्डलाइन से जुड़ने के बारे में कहा गया। रेलवे के कर्मचारियों द्वारा चाइल्डलाइन टीम को पूर्ण रूप से सहयोग करने की बात कही गयी।

साथ ही वहा उपस्थित यात्रियों व बच्चों को चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह के बारे में जानकारी दी तथा मुसीबत में फसे बच्चों की जानकारी मिलने उनकी मदद के लिये चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर पर इसकी जानकारी देने के बारे में कहा गया व उनके साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर चाइल्डलाइन व बाल मजदूरी से सम्बधित पोस्टर लगाये गये।



सार्वजनिक स्थानों पर चाइल्डलाइन के पोस्टर लगाते हुए चाइल्डलाइन टीम सदस्य माता-पिता के बस में यात्रा कर रहा हो और आपको लगे कि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो भी आप तुरंत ही चाइल्डलाइन के नम्बर पर इसकी जानकारी दे।

बस व ऑटो पर लोगों को किया जागरूक -

चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा बस स्टैंड व ऑटो स्टैंड पर बस व ऑटो चालकों व वहा उपस्थित यात्रियों के साथ चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया इसमें चाइल्डलाइन टीम सदस्य श्री गौरव आचार्य द्वारा बस व ऑटो चालकों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देते हुए उनको चाइल्डलाइन के कार्यों के बारे में बताया गया।

इसके अलावा बस कन्डेक्टरों को समझाया गया कि यदि कभी आप देखे कि आपकी बस में या किसी अन्य साधन में कोई कम उम्र का बालक एवं बालिका बिना अपने



चाइल्डलाइन टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाते हुए एवं उपस्थित लोगों को चाइल्डलाइन व दोस्ती सप्ताह प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गयी

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा बैसहारा व जरुरत मंद बच्चों की मदद के लिये चाइल्डलाइन से जुड़ने के बारे में कहा गया व सभी चालकों द्वारा अपनी बसों में ले जाकर बसों पर चाइल्डलाइन के पोर्टर व पंथ्यलेट्स लगाये गये व बसों में उपरित यात्रियों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी दी गयी।



बच्चों को जानकारी देते चाइल्ड लाइन स्कूल।

दोस्ती सप्ताह में बच्चों को किया जागरूक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

श्योपुर चाइल्ड लाइन के दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत श्योपुर की टीम ने शनिवार को शहर के रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर

लगाए और पर्चे बढ़ा। साथ ही बच्चों को चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान विलव शर्मा, मनोज सोनी, गौर आचार्य, राजेश मीणा, सत्येंद्र नवरिया, शुभम शर्मा, सुमलता आदि मौजूद रहे।

ओपन हाउस प्रोग्राम

ओपनहाउस प्रोग्राम के दौरान चाइल्डलाइन टीम द्वारा उस क्षेत्र के लोगों व बच्चों से मिलकर चाइल्डलाइन व बाल अधिकारों की जानकारी देने के साथउस क्षेत्र के बच्चों की समस्याओं की जानकारी ली जाती है तथा बच्चों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

- माह- अप्रैल 2017

स्थान- नव्दापुर

बच्चों की समस्याएँ-उपरियत लोगों द्वारा बताया गया कि गांव की उजमा नाम की बालिका उम्र लगभग 17 साल, किसी आदमी के साथ भाग गयी है।

ओपन हाउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास:- चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिका के परिवार के सदस्य के साथ जा कर बालिका को भगाकर लेजाने की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।

इस विषय की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गयी तथा इस विषय मे उचित कार्यवही करने के बारे मे कहा गया।



इसके साथ ही टीम सदस्य द्वारा बालिका के घर व पुलिस स्टेशन जाकर समय-समय पर फॉलोअप लिया गया, कुछ दिनों बाद चाइल्डलाइन को पुलिस व परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया कि बालिका घर लौट आयी है।

- माह- मई 2017

स्थान- दीनदयाल बस स्टेंड, श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ -3 बालकों राहुल बैरवा उम्र- 8 वर्ष, राजु बैरवा उम्र- 10वर्ष, मोनु बैरवा उम्र- 8वर्ष द्वारा बताया गया कि हम स्कूल मे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माता-पिता हम को स्कूल मे नहीं भेजते हैं।

ओपन हाउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास:- इस रियति को देखते हुए चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों के घर पहुंच कर उनके माता-पिता से इस विषय




पर बात की तथा उनकी काउन्सिलिंग कर उनको बच्चों को स्कूल मे भर्ती करवाने के बारे मे समझाया गया तथा टीम सदस्य द्वारा बच्चों से नये सत्र से स्कूल प्रारंभ होने पर, बच्चों को एडमिशन करवाने के बारे मे कहा गया।

नये सत्र में स्कूल के प्रारंभ होने पर चाइल्डलाइन टीम बच्चों के घर पहुंचकर, बच्चे व उनके माता पिता को साथ लेकर स्कूल पहुंची व स्कूल के प्राचार्य की मदद से बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया गया।

- माह- जून 2017

स्थान-गांव -इणपुरा, श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ-चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों से सम्बंधित समस्याएं पूछने पर बालिका की माता द्वारा बताया गया कि मेरी बालिका विकलांग है तथा मेरे द्वारा बालिका का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की गयी लेकिन बालिका का विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन सका है इस कारण बालिका को किसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, अतः मैं चाइल्डलाइन टीम की मदद से बालिका का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहती हूं जिससे कि बालिका को योजनाओं का लाभ मिल सके।



ओपेन हाउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास:-

चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालिका से मिलकर उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा बालिका का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिये आवश्यक डॉक्युमेंट तैयार करवाये गये।

इसके साथ ही बालिका का लोकसेवा केंद्र में पंजीयन करवाया गया तथा जिला अस्पताल ले जाकर बालिका की जांच करवाकर बालिका का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया जिससे कि बालिका को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने गया।

- माह- जुलाई 2017

स्थान- गांव -ढोढर, श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ-छात्र द्वारा बताया गया कि मुझे कक्षा- 11वीं की किताब अभी तक नहीं मिली है।

ओपेन हाउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास:-

चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय स्कूल में प्रिसींपल के बात की गयी प्रिसींपल का कहना था कि हमारे द्वारा सभी विषय की किताब छात्र-छात्राओं को बाट दी गयी है लेकिन एक विषय की किताब हमारे पास शासन से ही नहीं आयी है। वह किताब कुछ ही दिनों में आने वाली है। किताब के आते ही सभी को वह बाट दी जायेगी।



इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय में शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से भी बात की गयी व तथा उनको स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए, जल्द स्कूल तक किताब पहुंचाने के बारे में कहा गया।

कुछ दिनों बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा फोन के माध्यम से स्कूल के प्रिसीपल से बात की गयी उनके द्वारा बताया गया कि छात्र-छात्राओं को किताब बाट दी गयी है।

● माह- अगस्त 2017

स्थान- तहसील- बडोदा, शेपुर

बच्चों की समस्याएँ-शिक्षक द्वारा जानकारी दी गयी कि पास के गांव में एक बालक के माता पिता की मृत्यु हो चुकी।

ओपन हाउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास:-

चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बालक के गांव पहुंच कर बालक की स्थिति के बारे में जानकारी ली। जिसमें पता चला कि बालक वर्तमान में अपने चाचा के साथ रहता है।



चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गयी व बालक के हित में उचित कार्यवाही करने के बारे में कहा गया।

ओपन हाउस लगाकर बच्चों को शोषण के प्रति किया जागरूक

भास्कर संवाददाता | शेपुर

बाल कल्याण समिति एवं चाइल्डलाइन टीम ने मंगलवार को बडोदा पहुंचकर हायर सेकेंडरी स्कूल में ओपन हाउस प्रोग्राम किया। चाइल्ड लाइन टीम ने इस कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को शोषण के शिकार बच्चों के मददगार बनने के लिए चाइल्ड लाइन से जुड़ते तथा बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई।

टीम समन्वयक विलय शर्मा ने बताया कि चाइल्ड लाइन 24 घंटे सक्रिय एक आपातकालीन सेवा है, जो 16 साल तक बच्चों की मदद अपने देशभर में फैले नेटवर्क के जरिए करती है। किसी भी बच्चे के गुम होने, लाखरिस्म मिलने, जबरन काम कराने, बाल विवाह सहित

शारीरिक और मानसिक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 डायल करके तुरंत सूचना दें। कार्यक्रम के दौरान बाल कल्याण समिति की अव्यक्त संगीता अग्रवाल ने बाल अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए छात्र-छात्राओं को शोषण क्तव्य के बद्दल नहीं करने और अपराधी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कहा। चाहे बच्चे पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति परिवार का ही क्यों न हो। चाइल्ड लाइन के समन्वयक विलय शर्मा स्कूल के प्रिसीपल के स्पी गोयल, चाइल्ड लाइन टीम सदस्य मनोज सोनी गोयल आचार्य, हृदयश गुजर, मल्योद मिंह, शिक्षक हरीश गौतम, भारत मिंह जाट, सुरेश गुप्ता, मंगलेश शर्मा, नरेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

● माह- सितम्बर 2017

स्थान- सावडी, तहसील- कराहन, जिला- शेहपुर

बच्चों की समस्याएँ -एक समाजसेवी कार्यकर्ताद्वारा जानकारी दी गयी कि एक बालक को स्कूल द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है।

ओपन हाउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास:-

चाइल्डलाइन टीम सदस्य श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा बालक के गांव पहुंच कर बालक की स्थिति के बारे में जानकारी ली। व इस विषय में स्कूल में प्रिसीपल से बात की गयी।

प्रिसीपल द्वारा इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा बालक की छात्रवृत्ति डाल दी गयी है लेकिन छात्र द्वारा बैंक में खाता नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपने किसी रिश्तेदार का खाता कमांक दिया गया है हमारे द्वारा उस आते में बालक की छात्रवृत्ति के पूरे रूपये डिलवाये गये हैं।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बालक के घर पहुंचकर इस विषय की जानकारी दी व उस सम्बधित व्यक्ति के खाते से बालक की छात्रवृत्ति के रूपये दिलवाये गये।



चाइल्ड लाइन ने बच्चों को बताया अच्छे-बुरे स्पर्श का फर्क

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

शेहपुर। चाइल्ड लाइन टीम ग्राम सावडी तहसील काग़ाहल में बालिका को अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में जागरूक करने के लिए अविसर्जन स्प्रेग्राम आयोजित किया गया। जिसमें आदिवासी समाज की बालिकाओं को



प्रकार के केसों में बालिकाओं का नाम गोपनीय रखा जाता है। इसके साथ ही गांव की पुरुष व महिलाओं को भी बच्चों की बात सुनने व उनका विशेष रूप से ख्याल रखने के बारे में कहा गया, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही बच्चों के बारे में काइलंडलाइन के है या आपके साथ रिकिया प्रकार को अभद्र व्यवहार करता है तो आप इसके बारे में अपने माता-पिता, अपनी ठीकर या बच्चों की मदद करने के बारे में कहा गया। इस दौरान चाइल्डलाइन के समन्वयक विलव शमा, गोरख आचार्य, संतोष शिंह, गोश मीणा, सुमनलता श्रीवाच्तव व शुभम शर्मा उपस्थित हैं।



● माह-अक्टूबर 2017

स्थान- गांव - कलमी, तहसील-कराहल, जिला- श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ -ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गयी कि तीन बालक अनाथ हैं बालकों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है।

ओपन हाउस के दोरान समाधान हेतु प्रयास :-चाइल्डलाइन टीम सदस्य बच्चों की स्थिति जानने के लिये बच्चों के घर पहुंचे वहां बच्चे अपनी दादी के साथ रह रहे थे दादी द्वारा बताया गया कि इनके माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे द्वारा ही बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। मुझे इनका पालन पोषण करने मेरे परेशानी आती है।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय की जानकारी पत्र के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विभाग व बाल कल्याण समिति को दी गयी व इस विषय मे उचित कार्यवाही करने के बारे मे कहा गया।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा बाल कल्याण समिति से इस विषय मे मीटिंग की गयी व इस विषय मे बच्चों के हित मे उचित कार्यवाही करने के बारे मे कहा गया। जिसमे बाल कल्याण समिति द्वारा बताया गया कि इस विषय- जांच की जा रही है।

कुछ महिने बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों की स्थिति के बारे मे जानकारी ली गयी तथा उनकी स्थिति के बारे मे बाल कल्याण समिति को पुनः पत्र मे माध्यम से सूचना दी गयी तथा इस विषय मे जल्द उचित कार्यवाही करने की बात कही गई।



सिटी एक्सप्रेस

राज एक्सप्रेस

शिवपुरी श्योपुर

नईदुनिया सिटी

कलमी में चाइल्ड लाइन को मिले तीन अनाथ बच्चों की जानकारी

चाइल्ड लाइन को मिले 3 अनाथ बच्चों की जानकारी

शिवपुरी श्योपुर

नईदुनिया सिटी

कलमी में चाइल्ड लाइन को मिले तीन अनाथ बच्चों की जानकारी

शिवपुरी श्योपुर

शिवपुरी श्योपुर

नईदुनिया सिटी

कलमी में चाइल्ड लाइन को मिले तीन अनाथ बच्चों की जानकारी

शिवपुरी श्योपुर

● माह- नवम्बर 2017

स्थान- गांव - ज्वालापुर, जिला- श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ :- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि गांव मे कुछ माता पिता एसे हैं जो कि कई बार कहने पर भी बच्चों का ठीकाकरण नहीं करवाते हैं जिससे बच्चों मे बिमारियोंका खतरा रहता है।

ओपन आउस के दोरान समाधान हेतु प्रयास :-चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों के माता पिता से मिलकर ठीकाकरण से होने वाले लाभ तथा ठीका नहीं लगवाने से होने वाली बीमारियों के बारे मे जानकारी दी गयी। तथा माता पिता की काउन्सिलिंग की गयी चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा समझाने पर माता पिता बच्चों का ठीकाकरण करवाने के लिये तैयार हो गये।



इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्य माता पिता को साथ लेकर ए.एन.एम की मदद से बच्चों का ठीकाकरण करवाया गया व भविष्य मे भी सही समय पर ठीका लगवाने के लिये कहा गया।

● माह- दिसम्बर 2017

स्थान- गांव - ढेंगवा, तहसील- कराहल, जिला- श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ -समाजसेवी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा गांव के कई लोगों द्वारा गांव मे 12 अनाय बालकों के बारे में जानकारी दी गई जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है।

ओपन आउस के दोरान समाधान हेतु प्रयास :-चाइल्डलाइन टीम सदस्य बच्चों की स्थिति जानने के लिये बच्चों के घर पहुंचे। वहा उनकी स्थिति के बारे मे जानकारी ली गयी।



इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय की जानकारी पत्र के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विभाग व बाल कल्याण समिति को दी गयी व इस विषय मे उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

इस सम्बंध में चाइल्डलाइन टीम द्वारा बाल कल्याण समिति के साथ मीटिंग की गयी व बच्चों के हित मे उचित कार्यवाही करने के बारे मे कहा गया। जिसमे बाल कल्याण समिति द्वारा बताया गया कि इस विषय की जांच की जा रही है।

कुछ महिने बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों की स्थिति के बारे मे जानकारी ली गयी तथा बाल कल्याण समिति से उनके द्वारा की गयी जांच के आधार पर उन बच्चों की सूची मांगी गयी जिनको बाल कल्याण समिति द्वारा उचित लाभ दिया जायेगा।

चाइल्ड लाइन टीम को मिले 12 अनाथ बच्चे

भास्तर संवाददाता | श्योपुर



शहर से सटे ढोगढ़ गांव में जब ब्राह्मण चाइल्ड लाइन की टीम लोगों को बच्चों के अधिकारों के बारे में बता जानकारी दे रही थी। इसी दौरान टीम हाथ को गांव में 12 अनाथ बच्चे मिले। जिस पर टीम के सदस्यों ने कारबाई हाल के लिए भवित्व मास्टिकरण व बाल कल्याण समिति को सुनाना दी। क्षमा चलाई जा रही चाइल्ड लाइन बच्चों के अधिकारों व उनकी सुरक्षा को

अनाथ बच्चों की जानकारी लेती चाइल्ड लाइन की टीम।

1098 का उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 12 बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं और अब उनकी जिम्मेदारी रिस्टेवर, व दादा-दादी उठा रहे हैं, जो कि सही से नहीं रह पा रहे हैं। उन बच्चों के लिए योजना के तहत सुविधा दी जाए। इस पर टीम ने सभी बच्चों के नाम लिखते हुए सूचना संरचित विभागों को दी, ताकि बच्चों की काउंसिलिंग की जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

—

● माह-जनवरी 2018

स्थान- गांव -कनापुर, जिला- श्योपुर

बच्चों की समस्याएँ :- 1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि गांव में 9 बच्चे हैं जिनके माता पिता कई बार कहने पर भी बच्चों का ठीकाकरण नहीं करवाते हैं जिससे बच्चों में बिमारियां होने का खतरा रहता है।

2. स्कूल की प्रिसींपल द्वारा बताया गया कि स्कूल में बच्चों के लिये पीने के स्वच्छ पानी व शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

ओपन आउस के दौरान समाधान हेतु प्रयास :- 1. चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों के माता पिता से मिलकर ठीकाकरण से होने वाले लाभ तथा टीका नहीं लगवाने से होने वाली बिमारियों के बारे में जानकारी दी गयी। तथा माता पिता की काउंसिलिंग की गयी चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा समझाने पर माता पिता बच्चों का ठीकाकरण करवाने के लिये तैयार हो गये।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्य माता पिता को साथ लेकर ए.एन.एम की मदद से बच्चों का ठीकाकरण कराया गया व भविष्य में भी सही समय पर टीका लगवाने के बारे में कहा गया।

2. सम्बद्धित विभाग- को पत्र के माध्यम से सूचना दी गयी तथा स्कूल में जल्द से जल्द शौचालय निर्माण व पानी की व्यवस्था करने के बारे में कहा गया।

न्यूज गैलरी ◀

ओपन हाउस प्रोग्राम में सामने आए 12 अनाथ बच्चे

श्योपुर | चाइल्ड लाइन टीम को ओपन हाउस प्रोग्राम के तहत 12 अनाथ बच्चे मिले। इन बच्चों के माता पिता नहीं थे वह अपने दादा दादी या रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं। इन बच्चों को लेकर जानकारी चाइल्ड लाइन की ओर से महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण समिति को दी जा चुकी है। इस संबंध में उनकी ओर से जारी ही कार्रवाई करने को कहा गया है। चाइल्ड लाइन टीम के विळव शमी, मनोज साही, गौरव भाऊर्य, चुभम शमी राजेश मीणा ने बताया कि बच्चों को चाइल्डलाइन नंबर की जानकारी देने व उनकी समस्याएँ सुनने के लिए ढेगदा में ओपन हाउस प्रोग्राम रखा गया। जहां चर्चा के दौरान उत्तर बच्चे सामने आए।



महात्मा गांधी सेवा आश्रम संचालित चाइल्डलाइन टीम द्वारा लोगों व बच्चों को चाइल्डलाइन, व बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करने व बच्चों की मदद के लिये लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों के अलावा शहर, गांवों व आदिवासी सहरानों में कई अवेयरनेस प्रोग्राम किये गये, जिनकी जानकारी नीचे दी गयी सारणी में उल्लेखित है।

अवेयरनेस- कार्यक्रम

क्र.	दिनांक	स्थान	संक्षेप विवरण	कार्यक्रम के फोटो/ व्यूज कर्टिंग
1.	07.04.2017	मेवाती मोहल्लाए श्योपुर	बच्चों व नागरिकों को चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी देने व 1098 नम्बर का उपयोग सिखाया गया व नगरिकों को बाल विवाह, भिक्षावृत्ति व बाल मजदूरी की बुराई के बारे में जागरूक किया गया।	
2.	17.04.2017	गांव- नन्दपुर, जिला- श्योपुर	आदिवासी समाज के लोगों व बच्चों को चाइल्डलाइन के कार्यों व 1098 नम्बर के उपयोग करना सिखाया गया। कुपोषण एवं बच्चों के स्वस्थ्य से सम्बद्धित जानकारी दी गयी।	
3	07.05.2017	गांव-ज्वालापुर, खुर्द, श्योपुर	अदिवासी समुदाय की महिलाओं को बाल विवाह एवं बाल योनशोषण के बारे में जानकारी दी गयी व चाइल्डलाइन के 1098 नम्बर का उपयोग करना सिखाया गया।	
4	19.05.2017	गांव- सोई, जिला- श्योपुर	बाल विवाह के बुकसानो बारे में जानकारी देने के साथ ग्रामीणों को बाल विवाह रोकने की शपत दिलवाई गयी।	

5	11.07.2017	गांव- बगवाजा, तहसील- कराहल, जिला- श्योपुर	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को बाल योनशोषण, बाल मजदूरी के नुकसान एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गयी।	
6	05.09.2017	गांव- दलारना, जिला- श्योपुर	आदिवासी समुदाय की महिलाओं को कुपोषण एवं बाल योनशोषण के बारे में जागरूक किया गया।	
7	04.10.2017	गांव- गुरुनावदा, जिला- श्योपुर	बच्चों को मुसिबत के समय चाइल्डलाइन से मदद किस प्रकार से मदद ली जा सकती है इस बारे में बताया गया तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी- इस दौरान चाइल्डलाइन टीम को 5 अनाय बच्चों के बारे में जानकारी मिली।	
8	03.10.2017	गांव- जैदा, जिला- श्योपुर	लापता स्थिति के बच्चे चाइल्डलाइन की सहायता किस ले सकते हैं इस विषय के बारे में समझाया गया व स्कूल से सम्बद्धित समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी।	
9	07.12.2017	गांव- कलारना, जिला- श्योपुर	प्राथमिक स्कूल में बच्चों को उनके अधिकारों व चाइल्डलाइन, पुलिस, एम्बुलेंस आदि के हेल्पलाइन नम्बर के बारे में जानकारी दी गयी।	

Few Case Studies

केस आई.डी. - 65488

बालक का नाम - ब्रजेश मीणा

उम्र- 20 वर्ष लगभग

चाइल्डलाइन टीम को जानकारी मिली कि गांव अदूसा जिला- श्योपुर मे दो बालको का विवाह किया जा रहा है तथा बालक की उम्र- 21 वर्ष से कम है। इस स्थिति को देखते हुए चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गयी।

दिनांक - 10/04/2017 को पुनः चाइल्डलाइन टीम सदस्य ने केस के सम्बंध में बालकल्याण समिति में जाकर चर्चा कि तो बालकल्याण समिति द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा इस विषय की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र के माध्यम से दी गयी है। चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा जल्द ही इस विषय मे कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

दिनांक 10/04/17 को चाइल्डलाइन टीम, महिलासशक्तिकरण आधिकारी, परियोजना आधिकारी व बालकल्याण समिति के साथ बाल विवाह के सम्बंध में मीटिंग की गयी तथा मीटिंग मे यह निर्णय लिया गया कि आज दिनांक 10/04/2017 को शाम के समय ही केस का इंटरवेशन करने गांव - अदूसा चला जाये।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्य, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष व सुपरवाइजर पूरी टीम गांव - अदूसा पहुंची बालको के घर पहुंची वहां पिता उपस्थित नहीं होने के कारण बालको के चाचा व अन्य परिवार के सदस्यो से इस विषय पर बात की जिसमे परिवार के सदस्यो द्वारा बताया गया कि हम दोनो बालको का विवाह 29/04/2017 को करने जा रहे है।

इस पर टीम द्वारा बालको से सम्बंधित आवश्यक डॉक्युमेंट देखे गये तथा बालको के परिवार वालों कि काउंसलिंग की गई तथा बाल विवाह न करने के बारे मे समझाया गया तथा बताया गया कि यह एक अपराध है, यदि आप बालको का विवाह 21 वर्ष से पूर्व करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। बाल विवाह करने पर आपको दो साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। अतः आप बालको का विवाह 21 वर्ष के बाद ही करें।

इसी के साथ परिवार के सदस्यो को बालविवाह के नुकसान के बारे मे समझाया गया। यह समझाने पर बालको के चाचा द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जो विवाह किया जा रहा था। वह हम नहीं करेंगे।

दिनांक 22/04/2017 को चाइल्डलाइन टीम द्वारा केस के सम्बंध में बालकल्याण समिति से जानकारी ली तो बालकल्याण समिति द्वारा बताया गया कि इस विषय कि जानकारी सम्बंधित पुलिस थाने मे भी दे दी गयी है बाल विवाह होने पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 29/04/2017 को चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालविवाह के सम्बंध में बालकल्याण समिति से जानकारी ली गयी तो बालकल्याण समिति द्वारा बताया गया कि बालक के परिवार वालो को समझाने पर उनके द्वारा बालको का विवाह नहीं किया गया है।

केस आई.डी. - 67237

बालक का नाम - दशरथ

उम्र- 10 वर्ष लगभग

केस आई.डी. - 67238

बालक का नाम- करण

उम्र- 05 वर्ष लगभग

दिनांक 27.04.2017 चाइल्डलाइन टीम को आउटरीच के दोरान जानकारी मिली कि बालक दशरथ उम्र 10 वर्ष व बालक करण, उम्र-05 वर्षपुत्र रव. रामस्वरूप निवासी- जिला- लातूर महाराष्ट्र जो कि श्योपुर शहर के मेन मार्केट मे खयं को हंटर से पीटकर खेल दिखा रहे है तथा भिक्षावृति कर रहे है।

दिनांक 27.04.2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य उस स्थान पर पहुंचे वहा टीम सदस्य अभिषेक शर्मा को भीख मांगते हुए दो बालक मिले जो अपनी माता शांता बाई के साथ थे टीम सदस्य द्वारा बालकों की स्थिति के बारे में पता करने के लिये बालकों का पीछा किया गया तथा देखा कि दोनों बालक स्वयं को हंटर से मार कर भीख मांग रहे हैं टीम सदस्य द्वारा इस बात की जानकारी फोन के माध्यम से बाल कल्याण समिति को दी, समिति द्वारा बालक को समिति के समक्ष लाने के कांडे दिया गया।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य अभिषेक द्वारा अन्य टीम सदस्य मनोज सोनी, गौरव आचार्य एवं पुलिस डायल 100 की मदद से दोनों बालकों को व उनकी माता को बाल कल्याण समिति के ऑफिस ले जाया गया।

इसके पश्चातचाइल्डलाइन टीम व बाल कल्याण समिति सदस्य द्वारा बालकों व उनकी माता की काउन्सिलिंग की गयी जिसमें बालकों व उसकी माता द्वारा बताया गया हम स्थाई रूप से जिला-लातूर, महाराष्ट्र में रहते हैं तथा यहां पर मजदूरी करने के लिये आये हैं।

चाइल्डलाइन व बाल कल्याण समिति द्वारा समझाया कि बालक से भीख मंगवाना गैर कानूनी है जिस पर आपको सजा भी हो सकती आगे से यदि बालक भीख मांगता हुआ मिला तो आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विप्लव शर्मा द्वारा समझाया गया कि इस प्रकार के खेल से बच्चों को गंभीर चोट भी लग सकती है व बच्चों का ठीक प्रकार से ख्याल रखने के बारे में कहा गया।

इसके बाद बालक की माता ने बताया कि - मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, अब हम भविष्य में कभी भी भीख नहीं मांगेंगे तथा मैं बच्चों का भी ध्यान रखूँगी। इस बात को बाल कल्याण समिति द्वारा लिखित रूप से लिया गया।

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए बच्चों के हित में उचित कार्यवाही करने हेतु दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया।

इसके पश्चात मीटिंग कि गई और बालक के हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को उसकी माता को सौप देने का निर्णय लिया गया, इसके बाद दिनांक 27.04.2017 को बालक को सुरक्षित उसकी माता को सौप दिया गया।

कुछ दिन बाद टीम सदस्य द्वारा बच्चों रहने के स्थान पर जाकर देखा गया तथा उस समय बच्चे वहीं पर अपने परिवार के साथ मिले परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया कि अब हम बच्चों को भीख मांगने नहीं भेजते हैं।



केस आई.डी- 65460

नाम- आकाश मीणा

उम्र- 14 वर्ष

दिनांक 10.04.2017 को चाइल्डलाइन को पुलिस ए.एस.आई. बृजराज यादव के माध्यम से लापता स्थिति में मिले बालक- आकाश मीणा उम्र- 14 वर्ष की सूचना मिली।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य गौरव आचार्य केस के सम्बंध में श्योपुर थाना पहुंचे वहा बालक आकाश मीणा के विषय में जानकारी ली गयी जिसमें उपस्थित ए.एस.आई. व कॉर्टेबल द्वारा बताया गया कि बालक को लोगों द्वारा बस स्टेट से श्योपुर थाने लाया गया है उनके द्वारा बताया गया कि बालक वहा बहुत समय से अकेला बैठा था तथा वहा बस में बैठकर दूसरे शहर जाने की कोशिश कर रहा था वहा उपस्थित लोगों को सन्देह हुआ कि यह बालक मुसिबत में है इस लिये वे उसे थाने में लेकर आ गये।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय की जानकारी फोन के माध्यम से बाल कल्याण समिति को दी गयी व समिति के आदेशानुसार बालक को चाइल्डलाइन ऑफिस लाया गया।

चाइल्डलाइन काउन्सलर अनामिका पाराशर द्वारा बालक की काउन्सलिंग कर उसके परिवार के बारे में पता करने की कोशिश की जिसमें बालक द्वारा अपना नाम आकाश मीणा व निवासी - गांव बिचगावडी तहसील बडोदा, जिला- श्योपुर बताया गया। बालक ने अपने पिता का नाम रामहेत मीणा बताया तथा बालक का कहना था कि मैं खर्च अपनी मर्जी से दिनांक 09.04.2017 को अपने घर से भाग कर आया हूँ तथा मैं ग्वालियर जाना चाहता हूँ।

चाइल्डलाइन की काउन्सलर द्वारा बालक से ग्वालियर जाने का कारण पूछा गया तो बालक द्वारा बताया गया कि मैं फिल्म हीरो बनना चाहता हूँ तथा ग्वालियर में मेरी मौसी भी रहती है।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम समन्वयक द्वारा बालक के परिवार से सम्पर्क कर उन्हें ऑफिस बुलाया गया तथा टीम सदस्य द्वारा बालक आकाश व बालक के पिता रामहेत मीणा को बाल कल्याण समिति ले जाया गया।

वहा बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के पिता को इस तरह की बालक के प्रति की गयी लापरवाही के लिये फटकार लगायी गयी तथा बालक से घर से भागने का कारण, परिवार की स्थिति व परिवार के सदस्यों का उसके प्रति व्यवहार आदि के बारे में जानकारी ली गयी।

इसके बाद बालकल्याण समिति व चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालक के हित को ध्यान में रखते हुए बालक व बालक के पिता की काउन्सलिंग कर उनको समझाया गया तथा बालक का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया।

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए बालक के हित में उचित कार्यवाही करने के लिये बालक को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया।

बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर मीटिंग की गयी व बालक को उसके पिता को सोपने का निर्णय लिया गया। दिनांक 10/04/2017 को बालक आकाश मीणा को उसके पिता रामहेत मीणा को सौंप दिया गया।

दिनांक 19/04/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य बालक की स्थिति जानने के लिये बालक के घर पहुंचे वहा बालक ठीक प्रकार से रह रहा था।



केस आई.डी-83085

नाम-बलवीर आदिवासी

उम्र- 01 वर्ष

केस आई.डी.- 83092

नाम-जितेन्द्र आदिवासी

उम्र- 02 वर्ष

दिनांक 15/09/2017 को चाइल्डलाइन टीम को आउटरीच के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जानकारी मिली कि दो बालक बलवीर पुत्र रामलखन आदिवासी उम्र- 1 वर्ष व बालक जितेन्द्र अदिवासी पुत्र विष्णु आदिवासी उम्र- 2 वर्ष निवासी- बगवाज, तहसील कराहल कुपोषित हैं, तथा बालकों की स्थिति गंभीर है। बालकों के माता-पिता को कई बार समझाया गया लेकिन बालक के माता-पिता बालक को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाते हैं।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनोज सोनी व सुमनलता श्रीवास्तव केस के सम्बंध में बालकों के घर पहुंचे वहा बालकों के परिवार के सदस्यों के बालकों की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जिसमें माता-पिता द्वारा बताया गया कि हमारे बच्चे कमजोर हैं तथा बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनोज सोनी द्वारा माता पिता को समझाया गया कि बालकों को ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिलने के कारण यह कुपोषण का शिकार हो गये हैं। यदि बालकों को जल्द एन.आर.सी. में भर्ती नहीं करवाया गया तो बालकों को कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं तथा बालकों की कुपोषण के कारण मृत्यु भी हो सकती है।

टीम सदस्य द्वारा बताया गया कि बच्चों को एन.आर.सी. में 14 दिन तक रखा जाता है वहा उसके साथ बालकों की माता के रहने व खाने की व्यवस्था भी होती है। 14 दिन तक बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है व प्रति दिन जांच की जाती है, 14 दिन बाद स्वस्थ होने पर बालक को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तथा माता को भी 14 दिन की मजदूरी लगभग 1780 रुपये मिलती है।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य सुमनलता श्रीवास्तव द्वारा समझाया गया कि अस्पताल में भर्ती के दौरान बालक से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्यां होने पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा पूरा सहयोग किया जायेगा तथा समय-समय पर भर्ती के दौरान भी चाइल्डलाइन टीम द्वारा आपके बालक के स्वस्थ की जानकारी ली जायेगी।

चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बार-बार समझानें पर दोनों बालकों के माता-पिता बालकों को एन.आर.सी. वार्ड में भर्ती कराने को तैयार हो गये।

दिनांक 15/09/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य दोनों बालकों, उनकी माता व आंगनवाड़ी कार्यकार्ता के साथ जिला अस्पताल पहुंचे वहाँ टीम सदस्य द्वारा बालकों की जांच करवायी गयी जांच के आधार पर बालक कुपोषित पाये गये। चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दोनों बालकों को एन.आर.सी. में भर्ती करवा दिया गया।

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा भर्ती के दौरान समय-समय पर जिला अस्पताल पहुंचकर दोनों बालकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी जिसमें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि बच्चों के स्वस्थ में सुधार हुआ है तथा बच्चों का वजन भी बढ़ गया है। यदि बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं तो दिनांक 28/09/2017 को बालकों को डिस्चार्ज कर दिया जायेगा।

दिनांक 28/09/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य बालकों के स्वस्थ की जानकारी लेने व उन्हें डिस्चार्ज करवाने के लिये अस्पताल पहुंचे वहाँ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि दोनों बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं व बालकों को आज डिस्चार्ज कर दिया जायेगा।

इसके पश्चात टीम सदस्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए बालकों को एन.आर.सी. से डिस्चार्ज करवाया गया व माताओं को 14 दिन की मजदूरी की राशि चेक के रूप में दी गयी।

केस आई.डी- 71787

नाम- रचना अदिवासी

उम्र- 5 वर्ष

दिनांक 07/06/2017 को चाइल्डलाइन को जानकारी मिली कि बालिका रचना अदिवासी को थेलेसीमिया की बिमारी है तथा बालिका वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है तथा उसेतुरंत B⁺ ब्लड की जरूरत है।

दिनांक 07/06/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य गौरव आचार्य केस के सम्बध में जिला अस्पताल पहुंचे व टीम सदस्य द्वारा बालिका के माता-पिता व कॉलर से बालिका के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि बालिका को थेलेसीमिया की बीमारी है इस कारण बालिका को हर महिने रक्त की आवश्यकता होती है व बालिका के शरीर में होमोग्लोबिन की भी कमी है।

इसके साथ ही चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा बालिका की स्थिति के बारे में डॉक्टर आर.बी. गोयल से बात की गई तथा जल्द से जल्द बालिका का उपचार करने के बारे में कहा गया। लेकिन डॉक्टर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ब्लड बैंक में B⁺ ब्लड उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा कई समाज सेवियों व सोशल मिडिया के माध्यम से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया। इस दौरान चाइल्डलाइन टीम को B⁺ ब्लड गुप वाले व्यक्ति लेखराज जाटव के बारे में जानकारी मिल गयी।

चाइल्डलाइन टीम समन्वयक विप्लव शर्मा द्वारा इस व्यक्ति से सम्पर्क कर उन्हे रक्तदान करने के बारे में समझाया गया तथा बताया गया कि आपके रक्तदान करने से बालिका की जान बच सकती है तथा वह स्वस्थ हो जायेगी। चाइल्डलाइन टीम द्वारा समझाने पर सम्बधित व्यक्ति बालिका रचना अदिवासी को रक्तदान करने के लिये तैयार हो गया।

दिनांक 07/06/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य गौरव आचार्य रक्तदान दाता लेखराज जाटव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां रक्तदाता ने बालिका रचना के लिये 1 यूनिट रक्तदान किया।

दिनांक 13/06/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिये बालिका के घर पहुंचे वहा बालिका के माता पिता द्वारा बताया गया कि बालिका स्वस्थ है।



केस आई.डी-72522

नाम-मोनू सुमन

उम्र-08 साल

केस आई.डी.- 72523

नाम- शनि बैरवा

उम्र- 07 साल

केस आई.डी.- 72524

नाम- राहुल बैरवा

उम्र- 08 साल

केस आई.डी.- 72525

नाम- राजू बैरवा

उम्र- 10 साल

ओपनहाउस प्रोग्राम के दौरान कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कि हम स्कूलमें पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माता-पिता हमें स्कूल में भर्ती नहीं करवाते हैं।

दिनांक 14.06.2017 को चाइल्डलाइन टीम इस विषय की जानकारी लेने बच्चों के घर मण्डी का सहराना पहुंची जहां उपस्थित बच्चों के माता-पिता व परिवार के सदस्यों से बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का कारण पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम मजदूरी करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिस कारण हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं।

चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों के माता-पिता की काउन्सिलिंग कर उनको शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी तथा बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने के बारे में कहा गया टीम सदस्य के बार-बार समझाने पर, माता-पिता बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने के लिये तैयार हो गये। टीम सदस्य द्वारा बताया गया कि अगले सत्र जुलाई माह में चाइल्डलाइन टीम द्वारा इन सभी बच्चों को स्कूल में भर्ती करवा दिया जायेगा।

टीम सदस्य द्वारा समझाने पर स्कूल के प्रिंसीपल बालक को स्कूल में भर्ती करने के लिये तैयार हो गये व टीम सदस्य द्वारा बालक का कक्षा-1 में एडमिशन करवा दिया गया तथा बालक को पढ़ने के लिये किताबें दिलवा दी गयी।

दिनांक 01.07.2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य बच्चों व उनके माता-पिता को साथ लेकर शा.प्रा. विद्यालय पहुंचे वहां आवश्यक कार्यवाही करते हुए सभी बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया गया।

केस आई.डी-83266

नाम- छिवेती आदिवासी

उम्र-12 साल

केस आई.डी.-83267

नाम-दिलखुश आदिवासी

उम्र-10 साल

केस आई.डी.- 83268

नाम- संजू आदिवासी

उम्र-08 साल

केस आई.डी.- 83269

नाम- राजवी आदिवासी

उम्र- 06 साल

दिनांक 15/09/2017 को बाल कल्याण समिति द्वारा जानकारी दी गयी कि गांव हांसिलपुर थाना-ढोदर जिला श्योपुर में 3 बालक व 1 बालिका हैं जिसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

दिनांक 15/09/2017 को चाइल्डलाइन टीम सदस्य शुभम शर्मा व राजेश मीणाबच्चों के गांव पहुंचे वहा ग्रामीणों व आगंनवाडी कार्यकर्ता से बच्चों के बारे में जानकारी ली गयी जिनके द्वारा बताया गया कि ये बच्चे अनाथ हैं तथा उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। बच्चों को आश्रय की जरूरत है।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्य बच्चों से मिले तथा उनसे बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी जिसमें बालिका छिवेती आदिवासी द्वारा बताया गया कि हमारे माता- पिता की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व हो गयी है तभीघरों में काम करके अपने भाईयों का पलन पोषण कर रही हूं।

इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा बाल कल्याण समिति के आदेश से तीनों बालक व बालिका को चाइल्डलाइन ऑफिस लाया गया व बच्चों की काउन्सिलिंग की गयी व बच्चों की स्थिति को देखते हुए बाल कल्याण समिति से बच्चों के रहने, पढ़ने व खाने की व्यवस्था करने को कहा गया।

दिनांक 15/09/2017 चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा द्वारा बच्चों के हित मे उचित कार्यवाही करने के लिये उन्हे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। बच्चों के हित को ध्यान मे रखते हुए बाल कल्याण समिति द्वारा तीनों बालकों को श्योपुर के सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास तथा बालिका द्विवेती को कस्तूरबा बालिका छात्रावास मे भर्ती करवाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा सभी बच्चों को छात्रावास मे भर्ती करवा दिया गया।



Missing Child Cases (Child lost and found)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -19 लापता स्थिति मे मिले बच्चों के परिवार के बारे मे पता कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सुरक्षित उनके परिवार तक पहुचाया गया।

<i>Case ID - 64460 Name- Akash Meena Age- 14 Year</i>	<i>Case ID -66773 Name- Laxraj Suman Age- 6 Year</i>	<i>Case ID - 69232 Name- Ajay Batham Age- 8 year</i>	<i>Case ID - 73337 Name- Amar jatav Age- 8 Year</i>
<i>Case ID -740610 Name- Kuttan Balmik Age- 5 Year</i>	<i>Case ID - 75841 Name- Rahul Meena Age- 14 Year</i>	<i>Case ID -77194 Name- Rajsing Jatv Age- 16 Year</i>	<i>Case ID - 77195 Name- Ramdulari jatav Age- 12 Year</i>
<i>Case ID - 77305 Name- Nitesh Lodha Age- 06 Year</i>	<i>Case ID - 78613 Name- Krishna Gupta Age- 3 Year</i>	<i>Case ID - 79811 Name- Shear ali Age- 3 Year</i>	<i>Case ID - 89886 Name- Akash Meena Age- 14 Year</i>
<i>Case ID -90981 Name- Vipin Jatav Age- 14 Year</i>	<i>Case ID -91794 Name- Dipu Banjara Age- 11 Year</i>	<i>Case ID -95273 Name- Sayna Age- 7 Year</i>	<i>Case ID -98509 Name- Sohil Khan Age- 4 Year</i>
<i>Case ID - 99710 Name- Ishu Mahor Age- 14 Year</i>	<i>Case ID - 102688 Name- Abhishek singh Age- 12 Year</i>	<i>Case ID - 104555 Name- Sana Rangreg Age- 3 Year</i>	

दिये गये केसों में चाइल्डलाइन को पुलिस (कॉलर) द्वारा जानकारी मिली कि एक लापता बालक/बालिका मिला/मिली है जो कि वर्तमान में श्योपुर पुलिस थाने (स्थान का नाम) में है। चाइल्डलाइन टीम सदस्य द्वारा श्योपुर पुलिस थाने पहुंचकर वहां थाने के प्रभारी व पुलिस कर्मी से बच्चे के बारे में सभी आवश्यक जानकारी ली गयी व आवश्यक कार्यवाही करते हुए बाल कल्याण समिति को लापता बच्चे मिलने की सूचना दी गयी व बच्चे को चाइल्डलाइन ऑफिस लाया गया।

चाइल्डलाइन ऑफिस में बच्चे की काउन्सिलिंग करके उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की गयी व बालक से मिली जानकारी के आधार पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चे के परिवार के बारे में पता करने के लिये बच्चे की फोटो स्वयं सेवी को दी गयी व बालक द्वारा उसके मिलने के स्थान व उसके द्वारा बताये गये स्थानों में ले जाकर वहां उपरिथित लोगों से बालक के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी व सोशल मिडिया के द्वारा भी बच्चे के लापता मिलने की सूचना लोगों तक दी गयी।

चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये गये प्रयास से बालक के परिवार पता कर लिया गया व टीम सदस्य द्वारा बालक के परिवार के सदस्य को बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया गया व चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालक को बाल कल्याण समिति को सौप दिया गया।

बाल कल्याण समिति व चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालक व बालक के माता पिता की काउन्सिलिंग की गयी। इसके बाद समिति द्वारा माता-पिता को बालक का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया तथा बताया कि यदि इस प्रकार की गलती फिर से होती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के हित को ध्यान में रखते हुए बालक को उसके माता-पिता को सुरक्षित सौप दिया गया। कुछ दिनों बाद चाइल्डलाइन टीम द्वारा बालक के घर पहुंचकर बालक की स्थिति की जानकारी भी ली गयी।

Missing Child Cases (Parents asking help)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -2 बालक/ बालिका जो घर से लापता हुए या भाग गये थे उनके बारे में पता कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया गया।

<i>Case ID – 67131</i>	<i>Case ID – 90045</i>
<i>Name- Ujmal Gurjar</i>	<i>Name- Rajveer Adiwasi</i>
<i>Age- 17 Year</i>	<i>Age- 10 Year</i>

PFA - Child Marriage Cases

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा-2 बालकों के बाल विवाह के बारे में जानकारी मिलने पर इस विषये की जानकारी सम्बंधित विभागों को दी गयी तथा आवश्यक कार्यवाही कर बाल विवाह को रुकवाया गया।

<i>Case ID – 65488</i>	<i>Case ID 65489</i>
<i>Name- Brajesh Meena</i>	<i>Name- Styaveer Meena</i>
<i>Age- 20 Years</i>	<i>Age- 18 Year</i>

PFA –Child Beggary Cases

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -10 बच्चों व उनके माता पिता की काउन्सिलिंग करके बच्चों का भीख मांगना बन्द करवाया गया।

<i>Case ID - 67237 Name- Dashrat Age- 10 Year</i>	<i>Case ID - 67238 Name- Karan Age- 5 Year</i>	<i>Case ID - 81471 Name- Sameer Adiwasi Age- 12 Year</i>	<i>Case ID- 88768 Name- Dilkhush Bhopa Age- 12 Year</i>
<i>Case ID - 88770 Name- Rahul Bhopa Age- 11 Year</i>	<i>Case ID – 88772 Name- Krishna Bhopa Age- 10 Year</i>	<i>Case ID - 88776 Name- Rani Bhopa Age- 06 Year</i>	<i>Case ID – 104800 Name- Mahan nat Age- 10 Year</i>
<i>Case ID – 105567 Name- Amar Adiwasi Age- 10 Year</i>	<i>Case ID – 105601 Name- Preeti Adiwasi Age- 7 Year</i>		

चाइल्डलाइन टीम द्वारा भीख मांगने वाले बच्चों के बारे में पता कर पुलिस की मदद से चाइल्डलाइन के ऑफिस लाया गया तथा बच्चों की कउन्सिलिंग कर भीख मांगने के कारण व उनके परिवार के बारे में जानकारी ली गयी तथा इस बात की सूचना बाल कल्याण समिति को दी गयी तथा बच्चों व बच्चों के माता पिता को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया व बच्चों व उनके माता पिता की चाइल्डलाइन व बाल कल्याण समिति द्वारा कउन्सिलिंग की करवायी गयी। जिसमें माता पिता द्वारा बताया गया कि - भीख मांगने का कारण पता करने व उनको समझाने का प्रयास किया गया।

चाइल्डलाइन टीम व बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के माता पिता को समझाया कि बच्चों से भीख मंगवाना गैर कानूनी है जिस पर आपको सजा भी हो सकती आगे से यदि बालक भीख मांगता हुआ दिखाई दिया तो आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद बाल कल्याण समिति व चाइल्डलाइन टीम द्वारा मिटिंग कि गई और बालक के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही कर, बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को उसकी माता-पिता को सौप देने का निर्णय लिया गया तथा चाइल्डलाइन टीम द्वारा कुछ दिनों तक उस बच्चों के घर जाकर उसके बारे में जानकारी ली गयी तथा बच्चे का भीख मांगना बन्द करवाया गया।

PFA Cases

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -05 बच्चोंजिनके साथ शारीरिक या मार्शिक शोषण किया गया था चाइल्डलाइन टीम द्वारा पुलिस थाने पहुंचकर दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्जकारवाई गयी व इस विषये की जानकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण समिति को दी गयी।

<i>Case ID - 65057 Name- Laxmi Bathm Age- 16 Year</i>	<i>Case ID - 77267 Name- Rahul Meena Age- 15 Year</i>	<i>Case ID -77269 Name- Mona Meena Age- 13 Year</i>	<i>Case ID - 82349 Name- Anjali Sharma Age- 05 Year</i>
<i>Case ID - 82350 Name- Dev Sharma Age- 06 Year</i>	<i>Case ID – 91514 Name- Kabir khan Age- 13 Year</i>	<i>Case ID – 106055 Name- Ashma Khan Age- 16 Year</i>	

Shelter Cases

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -04 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गयी थी तथा रिश्तेदार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ थे। इन बच्चों को चाइल्डलाइन टीम द्वारा छात्रावास में भर्ती करवाकर उनके रहने, खाने व पढ़ने की व्यवस्था करवाई गयी।

<i>Case ID -83266 Name- Diveti Adiwasi Age- 12 Year</i>	<i>Case ID -83267 Name- Dilkush Adiwasi Age- 10 Year</i>	<i>Case ID -83268 Name- Sanju Adiwasi Age- 10 Year</i>	<i>Case ID -83269 Name- Rajveer Adiwasi Age- 06 Year</i>
---	--	--	--

Shelter Cases (Running)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -52 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गयी हैं तथा रिश्तेदार/ दादा-दादी की आर्थिक व शारीरिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, बच्चों का पालन पोषण करने में परेशानी आ रही है। चाइल्डलाइन टीम द्वारा इन सभी बच्चों की जानकारी महिला सशक्तिकरण विभाग एवं बाल कल्याण समिति को दी गयी है व समय-समय पर इन केसों का फोलोअप लिया जा रहा है जिससे इन बच्चों को भी लाभ दिलवाया जा सके।

<i>Case ID - 75123 Name- Deepak Mahor Age- 3 Year</i>	<i>Case ID - 75398 Name- Simran Bano Age- 11 Year</i>	<i>Case ID - 81426 Name- Hanuman Bairwa Age- 15 Year</i>	<i>Case ID - 81932 Name- Divya Raigar Age- 14 Year</i>
<i>Case ID - 85003 Name- Nandni Mahor Age- 7 Year</i>	<i>Case ID - 85005 Name- Vikky Mahor Age- 6 Year</i>	<i>Case ID - 85004 Name- Kinjta Adiwasi Age- 15 Year</i>	<i>Case ID - 85009 Name- Pooja Mahor Age- 15 Year</i>
<i>Case ID - 85010 Name- Laxmi Mahor Age- 11 Year</i>	<i>Case ID - 88188 Name- Jotish Adiwasi Age- 13 Year</i>	<i>Case ID - 88190 Name- Kajal Adiwasi Age- 10 Year</i>	<i>Case ID - 88214 Name- Manju Adiwasi Age- 7 Year</i>
<i>Case ID - 88421 Name- Raja Adiwasi Age- 09 Year</i>	<i>Case ID -90729 Name- Vishnu Banjara Age- 7 Year</i>	<i>Case ID -90817 Name- Ramveer Adiwasi Age- 10 Year</i>	<i>Case ID -90821 Name- Boby Adiwasi Age- 12 Year</i>
<i>Case ID -90947 Name- Kishan Adiwasi Age- 8 Year</i>	<i>Case ID -90949 Name- Devendra Adiwasi Age- 4 Year</i>	<i>Case ID -90951 Name- Ajaya Bairwa Age- 11 Month</i>	<i>Case ID -91218 Name- Badsha Adiwasi Age- 17 Year</i>
<i>Case ID -91221 Name- Pahad Singh Age- 15 Year</i>	<i>Case ID -91222 Name- Chayna Adiwasi Age- 8 Year</i>	<i>Case ID -91552 Name- Sapna Banjara Age- 9 Year</i>	<i>Case ID -91851 Name- Laxmi Mahor Age- 13 Year</i>
<i>Case ID -94192 Name- Gudiya Adiwasi Age- 15 Year</i>	<i>Case ID -94193 Name- Bhagwati Adiwasi Age- 13 Year</i>	<i>Case ID -94194 Name- Kallu Adiwasi Age- 12 Year</i>	<i>Case ID -94195 Name- Brajmohan Adiwasi Age- 10</i>
<i>Case ID -94211 Name- Kishan Adiwasi Age- 10 Year</i>	<i>Case ID -94212 Name- Maya Adiwasi Age- 14 Year</i>	<i>Case ID -94213 Name- Gautam Adiwasi Age- 8 Year</i>	<i>Case ID -94226 Name- Man Mohan Adiwasi Age- 8 Year</i>
<i>Case ID -94229 Name- Budde Adiwasi Age- 15 Year</i>	<i>Case ID -94230 Name- Bindiya Adiwasi Age- 4 Year</i>	<i>Case ID -94232 Name- Ritik Adiwasi Age- 3 Year</i>	<i>Case ID -94462 Name- Syama Adiwasi Age- 10 Year</i>
<i>Case ID -96205 Name- Devki Adiwasi Age- 9 Year</i>	<i>Case ID -96206 Name- Bhaiya Adiwasi Age- 11 Year</i>	<i>Case ID -96207 Name- Shayar Adiwasi Age- 13 Year</i>	<i>Case ID -96781 Name- Ajay Bairwa Age- 8 Year</i>
<i>Case ID -96782 Name- Sonu Rathor Age- 15 Year</i>	<i>Case ID -96783 Name- Sunita Bairwa Age- 10 Year</i>	<i>Case ID -96787 Name- Rajveer Rathor Age- 17 Year</i>	<i>Case ID -96788 Name- Dilkashan Bairwa Age- 12 Year</i>
<i>Case ID -96789 Name- Jitendra Bairwa Age- 15 Year</i>	<i>Case ID - 101308 Name- Kamal meena Age- 12 Year</i>	<i>Case ID - 102482 Name- Harimohan Age- 8 Year</i>	<i>Case ID - 102846 Name- Dharm Singh Age- 9 Year</i>
<i>Case ID - 102926</i>	<i>Case ID - 14466</i>	<i>Case ID - 104467</i>	<i>Case ID - 104470</i>

Name- Anguri Adiwasi Age- 16 Year	Name- Mangal Mavar Age- 13 Year	Name- Rambharat Age- 16 Year	Name- Pankaj Mahor Age- 15 Year
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Medical Cases- Blood donation

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर ठीम द्वारा-26 बच्चों जिनको थेलिसीमिया /अन्य बिमारी होने के कारण इन बच्चों को रक्त की तुरन्त आवश्यकता थीइस दौरान ब्लड बैंक मे रक्त नहीं होने की विधि मे चाइल्डलाइन ठीम सदस्यों द्वारा की रक्तदान करने वाले लोगों व स्वयं ठीम सदस्य द्वारा भी रक्तदान किया गया जिससे बच्चों के स्वस्थ्य मे सुधार हुआ।

Case ID - 71786 Name- Abhishek jandin Age- 15 Year	Case ID - 71787 Name- Rachna Adiwasi Age- 5 Year	Case ID - 72096 Name- Raju Bairwa Age- 15 Year	Case ID - 72406 Name- Harsh Jat Age- 5 Year
Case ID - 74816 Name- Anya Suman Age- Year	Case ID -77115 Name - Sunita Suman Age- 17 Year	Case ID -79867 Name- Anushka Bairwa Age- 1 Year 6 Month	Case ID - 83400 Name- Sanju Suman Age- 1 Year 6 Month
Case ID - 84889 Name- Monika Gurjar Age- 2 Year 6 Month	Case ID - 84891 Name- Varsha Adiwasi Age- 7 Year	Case ID - 84977 Name- Dikki Mahor Age- 3 Year	Case ID - 85227 Name- Khushi Adiwasi Age- 1 Year 06 Month
Case ID -90932 Name- Nandni Adiwasi Age- 5 Year	Case ID - 91453 Name- Kara Adiwasi Age- 3 Year	Case ID - 91455 Name- Anand Adiwasi Age- 1 Year 6 Month	Case ID - 91723 Name- Chanchal Adiwasi Age- 1 Year
Case ID -98609 Name- Anmol Yogi Age- 8 Year	Case ID - 100277 Name- Aman Sen Age- 17 Year	Case ID - 100352 Name- Diggi Mahor Age- 3 Year	Case ID - 100353 Name- Ritika Jat Age- 2 Year
Case ID - 102810 Name- Somya Sharma Age- 14 Year	Case ID - 103683 Name- Tejsv Sharma Age- 1 Year	Case ID - 104279 Name- Sonu Bairwa Age- 15 Year	Case ID - 104299 Name- Mukesh Adiwasi Age- 15 Year
Case ID - 104450 Name- Mufid Khan Age- 2 Year 6 month	Case ID - 104452 Name- Rakesh Suman Age- 17 Year		

Medical Help Cases

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर ठीम द्वारा -22 बच्चों जिनको बुखार, शारीरिक चोट, कुल्ते का काटना आदि स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्याएं होने पर ठीम सदस्य द्वारा बच्चों की जिला अस्पताल में जांच करवाकर उनका उपचार करवाया गया।

Case ID - 64636 Name- Vishal Adiwasi Age- 6 Year	Case ID - 64637 Name- Anjli Adiwasi Age- 3 Year	Case ID - 86696 Name- Arun Mahor Age- 7 Year	Case ID -86739 Name- Chirag Singh Age- 5 Year
Case ID - 92718 Name- Palak Mahor Age- 1 Year 6 Month	Case ID - 95858 Name- Bhanu Prajapati Age- 13 Year	Case ID -96811 Name- Sanjana Adiwasi Age- 10 Year	Case ID - 100688 Name- Reena Adiwasi Age- 13 Year

<i>Case ID - 104550</i> Name- Laxmi Adiwasi Age- 10 Year	<i>Case ID - 104551</i> Name- Priyanka Adiwasi Age- 9 Year	<i>Case ID - 104552</i> Name- Reshma Adiwasi Age- 10 Year	<i>Case ID - 104652</i> Name- Monu Gurjar Age- 10 Year
<i>Case ID - 104653</i> Name- Pandu Banjara Age- 14 Year	<i>Case ID - 104741</i> Name- Monu Adiwasi Age- 1 Year 6 month	<i>Case ID - 105788</i> Name- Rama Adiwasi Age- 9 Year	<i>Case ID - 105789</i> Name- Devki Adiwasi Age- 8 Year
<i>Case ID - 106070</i> Name- Soman Adiwasi Age- 7 Year	<i>Case ID - 106072</i> Name- Rinku Adiwasi Age- 3 Year	<i>Case ID - 106074</i> Name- Rabudi Adiwasi Age- 9 Year	<i>Case ID - 106379</i> Name- Aryan Mahor Age- 1 Year
<i>Case ID - 107239</i> Name- Vandna Adiwasi Age- 12 Year	<i>Case ID - 107240</i> Name- Suman Adiwasi Age- 7 Year		

Medical Help (Malnutrition Case)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित वाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -34 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों जिनके माता पिता बच्चों को एन.आर.सी. मे भर्ती नहीं करवा रहे थे उन बच्चों के माता पिता की काउन्सिलिंग करके बच्चों को जिला अस्पताल के एन.आर.सी. मे भर्ती करवाया गया व भर्ती के दौरान समय-समय पर पहुंचकर कर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गयी। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य मे सुधार हुआ।

<i>Case ID - 64551</i> Name- Prince Suman Age- 3 Year	<i>Case ID - 64901</i> Name- Poonam Mahor Age- 1 Year 6 Month	<i>Case ID - 64902</i> Name- Anushka Bhushan Age- 1 Year 3 Month	<i>Case ID - 65644</i> Name- Rishika Bairwa Age- 1 Year
<i>Case ID - 69428</i> Name- Priya Bairwa Age- 8 Moth	<i>Case ID - 69429</i> Name- Chhutko Adiwasi Age- 6 Month	<i>Case ID - 69868</i> Name- Surendra Adiwasi Age- 1 Year 6 Month	<i>Case ID - 69870</i> Name- Devi Adiwasi Age- 1 Year 8 Month
<i>Case ID - 70268</i> Name- Somat Adiwasi Age- 7 Month	<i>Case ID- 74105</i> Name- Suneel Suman Age- 02 Year 5 Moth	<i>Case ID- 74106</i> Name- Sobit Meena Age- 2 Year	<i>Case ID- 74107</i> Name- Krishna Meena Age- 3 Year
<i>Case ID - 74108</i> Name- Antima Suman Age- 3 Year	<i>Case ID - 77265</i> Name- Rahul Jat Age- 9 Month	<i>Case ID - 77266</i> Name- Sanjay Age- 6 Month	<i>Case ID - 77982</i> Name- Anmol Adiwasi Age- 11 Month
<i>Case ID - 77983</i> Name- Krishna Adiwasi Age- 1 Year	<i>Case ID - 77985</i> Name- Sanjana Adiwasi Age- 9 Month	<i>Case ID - 78578</i> Name- Kunal Majhi Age- 6 Month	<i>Case ID - 78579</i> Name- Sheela Bairwa Age- 7 Month
<i>Case ID - 79754</i> Name- Rajeshwari Mahor Age- 3 Year	<i>Case ID - 79758</i> Name- Pari Sharma Age- 3 Year	<i>Case ID - 79883</i> Name- Reena Adiwasi Age- 6 Month	<i>Case ID - 79884</i> Name- Porti Adiwasi Age- 1 Year 8 Month
<i>Case ID -79886</i> Name- Rinku Adiwasi Age- 10 Month	<i>Case ID -79887</i> Name- Muskan Adiwasi Age- 1 Year 2 Month	<i>Case ID -79879</i> Name- Rachna Adiwasi Age- 4 Year	<i>Case ID -79880</i> Name- Ramu Adiwasi Age- 10 Month
<i>Case ID - 82022</i> Name- Preeti Adiwasi Age- 1 Year	<i>Case ID -82023</i> Name- Arti Adiwasi Age- 1 Year 6 Month	<i>Case ID - 83085</i> Name- Balveer Adiwasi Age- 1 Year	<i>Case ID -83092</i> Name- Jitendra Adiwasi Age- 1 Year 10 Month
<i>Case ID -92163</i> Name- Neeraj Adiwasi Age- 2 Year	<i>Case ID -95475</i> Name- Depak Adiwasi Age- 3 Year		

Medical Help (Vaccination Cases)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा -54 बच्चों व उनके माता पिता की काउन्सिलिंग करके उनको समझाया गया। डॉक्टर व ए.एन.एम. से जांच करवाकर बच्चों का टीकाकरण करवाया गया।

<i>Case ID - 67812 Name- Depak Adiwasi Age- 6 Month</i>	<i>Case ID- 67813 Name- Dholu Adiwasi Age- 7 Month</i>	<i>Case ID - 68120 Name- Narendra Adiwasi Age- 5 Month</i>	<i>Case ID - 68294 Name- Mehraj Khan Age- 9 Month</i>
<i>Case ID - 69700 Name- Riya Bansal Age- 1 Year 6 month</i>	<i>Case ID - 69701 Name- Yasika Prajapati Age- 1 Year 7 Month</i>	<i>Case ID- 71676 Name- Shivay Sharma Age- 2 Month</i>	<i>Case ID- 77417 Name- Nikhil Adiwasi Age- 9 month</i>
<i>Case ID - 77419 Name- Shiv Adiwasi Age- 10 Month</i>	<i>Case ID - 77420 Name- Raj Adiwasi Age- 1 Year</i>	<i>Case ID - 78985 Name- Kavita Adiwasi Age- 3 Month</i>	<i>Case ID - 78986 Name- Shakila Khan Age- 6 Month</i>
<i>Case ID -80101 Name- Jagya Sharma Age- 6 Month</i>	<i>Case ID -80102 Name- Guddu Jaga Age- 2 Month</i>	<i>Case ID -83089 Name- Rehan Khan Age- 3 Month</i>	<i>Case ID -83093 Name- Aran khan Age- 3 Month</i>
<i>Case ID -85664 Name- Giyarsi Sen Age- 2 Month</i>	<i>Case ID - 85665 Name- Gudiya Ahmad Age- 1 Month</i>	<i>Case ID -85666 Name- Guddo Meena Age- 1 Month</i>	<i>Case ID -85714 Name- Gudiya Dikshit Age- 2 Month</i>
<i>Case ID -85715 Name- Aksan Khan Age- 4 Month</i>	<i>Case ID -85767 Name- Anaj Khan Age- 06 Month</i>	<i>Case ID -92387 Name- Dilraj Suman Age- 3 Month</i>	<i>Case ID -92389 Name- Rani Adiwasi Age- 1 Month</i>
<i>Case ID -92390 Name- Armita Age- 5 Month</i>	<i>Case ID -93982 Name- Ramdev Adiwasi Age- 5 Month</i>	<i>Case ID -93983 Name- Sakha Adiwasi Age- 4 Month</i>	<i>Case ID -93984 Name- Chaina Adiwasi Age- 6 Month</i>
<i>Case ID -93986 Name- Roky Age- 3 Month</i>	<i>Case ID -94527 Name- Riya Rathod Age- 5 Year</i>	<i>Case ID -94533 Name- Uman Jaga Age- 5 Year</i>	<i>Case ID -96266 Name- Avantika Soni Age- 6 Month</i>
<i>Case ID -97838 Name- Devanshi Jangin Age- 2 Month</i>	<i>Case ID -97840 Name- Kapil Bairwa Age- 5 Month</i>	<i>Case ID -97842 Name- Sidhi Jangin Age- 5 Year</i>	<i>Case ID -97843 Name- Pappu Meena Age- 4 month</i>
<i>Case ID -97846 Name- Komal Suman Age- 1 Year 6 Month</i>	<i>Case ID -97849 Name- Kirti Bairwa Age- 5 Month</i>	<i>Case ID -97851 Name- Vidhan Sharma Age- 2 Month</i>	<i>Case ID -97852 Name- Ronak Bairwa Age- 7 Month</i>
<i>Case ID -97853 Name- Arushi Bairwa Age- 4 Month</i>	<i>Case ID -97856 Name- Afirsh Khan Age- 7 Month</i>	<i>Case ID -97857 Name- Ripanshi Bairwa Age- 2 Month</i>	<i>Case ID - 103479 Name- Dikhush Adiwasi Age- 5 month</i>
<i>Case ID - 103480 Name- Amir Adiwasi Age- 4 month</i>	<i>Case ID - 103482 Name- Kirti Adiwasi Age- 3 month</i>	<i>Case ID - 103483 Name- Udeep Adiwasi Age- 7 month</i>	<i>Case ID - 103484 Name- Tarawati adiwasi Age- 5 month</i>
<i>Case ID - 103506 Name- Sachin Adiwasi Age- 7 month</i>	<i>Case ID - 103449 Name- Sawan Adiwasi Age- 4 Month</i>	<i>Case ID - 103644 Name- Salim Khan Age- 9 Month</i>	<i>Case ID - 103652 Name- Preerna Sharma Age- 1 Year 6 Month</i>
<i>Case ID - 104658 Name- Rahul Adiwasi Age- 6 Month</i>	<i>Case ID - 104669 Name- Rahul Adiwasi Age- 6 month</i>		

इस प्रकार के केसों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व ए.एन.एम. द्वारा चाइल्डलाइन को इन बच्चों की जानकारी दी गयी जिसमें बताया गया कि कई बार कहने पर भी बच्चों के माता पिता बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते हैं जिस कारण बच्चों को कई अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है।

Sponsorship Cases- School/ Collage Admission

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर ठीम द्वारा - 23 बालक व बालिकाओं जिनके माता-पिता बच्चों को स्कूल मे भर्ती नहीं करवाते थे चाइल्डलाइन ठीम द्वारा माता-पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों का स्कूल को स्कूल मे भर्ती करवाया गया।

<i>Case ID - 65763 Name- Simran Bano Age- 14 Year</i>	<i>Case ID - 72522 Name- Monu Suman Age- 8 Year</i>	<i>Case ID - 72523 Name- Seni Bairwa Age- 7 Year</i>	<i>Case ID- 72524 Name- Rahul Bairwa Age- 8 Year</i>
<i>Case ID - 72525 Name- Raju Bairwa Age- 10 Year</i>	<i>Case ID - 74398 Name- Arbaj Khan Age- 8 Year</i>	<i>Case ID - 75045 Name- Karan Rajawat Age- 9 Year</i>	<i>Case ID - 75585 Name- Simran Age- 15 Year</i>
<i>Case ID - 75800 Name- Rohit Mahor Age- 8 Year</i>	<i>Case ID - 75801 Name- Pinky Mahor Age- 6 Year</i>	<i>Case ID - 75802 Name- Anshu Mahor Age- 4 Year</i>	<i>Case ID - 75803 Name- Rajveer Adiwasi Age- 8 Year</i>
<i>Case ID - 77056 Name- Varsh Shihhare Age- 03 Year</i>	<i>Case ID - 77864 Name- Kuldeep Suman Age- 17 Year</i>	<i>Case ID - 78412 Name- Jubeda Khan Age- 15 Year</i>	<i>Case ID - 78419 Name- Ronak Adiwasi Age- 6 Year</i>
<i>Case ID - 78422 Name- Madan Rawat Age- 8 Year</i>	<i>Case ID - 78424 Name- Ramu Vaishnav Age- 6 Year</i>	<i>Case ID - 78602 Name- Gavind Gaud Age- 14 Year</i>	<i>Case ID - 79486 Name- Sohel Khan Age- 14 Year</i>
<i>Case ID - 79974 Name- Shobit Hardeniya Age- 15 Year</i>	<i>Case ID - 87616 Name- Khushagra Sharma Age- 17 Year</i>		

Sponsorship Cases (Ladli Laxmi Scheme)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर ठीम द्वारा- 53 बालिकाओं के माता पिता को योजना के बारे मे जानकारी दे कर व उनकी काउन्सलिंगकर बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़वाया गया। इस योजना से बालिकाओं को भविष्य मे लाभ पहुंचेगा।

इस योजना के अनुसार बालिका को कुल 1,18,000 रुपय की राशि मिलेगी। जिसमे बालिका के कक्षा -06 मे प्रवेश करने पर - 2000 रुपय/ कक्षा- 09 मे प्रवेश करने पर- 4000 रुपये/ कक्षा-11 मे प्रवेश करने पर 6000 रुपये / कक्षा- 12 मे प्रवेश करने पर- 6000 रुपये एवं 18 वर्ष से पूर्व विवाह न करने व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर- 1,00,000 राशी सरकार द्वारा दी जाती है।

<i>Case ID - 65140 Name - Sonam Adiwasi Age - 7 Month</i>	<i>Case ID - 65141 Name- Priyal Adiwasi Age- 5 Month</i>	<i>Case ID -65712 Name- Ishu Jat Age- 3 Month</i>	<i>Case ID - 65951 Name- Devanshi Dong Age- 2 Month</i>
<i>Case ID - 66556 Name- Divyansi Sen Age- 8 Month</i>	<i>Case ID - 66558 Name- Priyansi Sen Age- 6 Month</i>	<i>Case ID - 69459 Name - Alya bano Age- 1 Month</i>	<i>Case ID - 69647 Name - Payal Bairwa Age - 9 Month</i>

<i>Case ID - 70730</i> Name- Soniya Age- 7 Month	<i>Case ID - 70851</i> Name- Kiran Suman Age- 2 Year 6 Month	<i>Case ID - 70853</i> Name- Nirmala Adiwasi Age- 8 Year	<i>Case ID - 72097</i> Name- Arohi Chaurasiya Age- 1 Month
<i>Case ID - 72098</i> Name- Purvanshi Sharma Age- 1 Month	<i>Case ID - 72099</i> Name- Ambhika Soni Age- 2 Month	<i>Case ID - 72531</i> Name- Janav Bano Age- 10 Month	<i>Case ID - 75707</i> Name- Pari Bano Age- 8 Month
<i>Case ID - 75710</i> Name- Kaynath Age- 8 Month	<i>Case ID - 75711</i> Name- Kumari Anmol Age- 9 Month	<i>Case ID - 76037</i> Name- Iram Fatima Age- 1 Month	<i>Case ID - 76679</i> Name- Vanshika Jadon Age- 1 Month
<i>Case ID - 76680</i> Name- Disha Manjhi Age- 1 Month	<i>Case ID - 76802</i> Name- Purvi Sharma Age- 1 month	<i>Case ID - 79555</i> Name- Aisha Bano Age- 1 Year 3 month	<i>Case ID - 79556</i> Name- Sima Adiwasi Age- 1 Year 3 Month
<i>Case ID - 79760</i> Name- Darshika Gautam Age- 7 Month	<i>Case ID - 79569</i> Name- Fajila Khan Age- 2 Month	<i>Case ID - 79570</i> Name- Nida Khan Age- 3 month	<i>Case ID - 81927</i> Name- Tanveer Batham Age- 1 Month
<i>Case ID - 81928</i> Name- Adishree Mittal Age- 4 month	<i>Case ID - 81976</i> Name- Arju Khan Age- 1 Month	<i>Case ID - 82203</i> Name- Gudiya Adiwasi Age- 2 Month	<i>Case ID - 82205</i> Name- Monika Suman Age- 4 Month
<i>Case ID - 82276</i> Name- Pragya Mehra Age- 2 Month	<i>Case ID - 82277</i> Name- Anushka Bairwa Age- 3 Month	<i>Case ID - 84998</i> Name- Khushi Raigar Age- 2 Month	<i>Case ID - 84999</i> Name- Mahira Ansari Age- 2 Month
<i>Case ID - 85226</i> Name- Neha Lodha Age- 2 Month	<i>Case ID - 85576</i> Name- Akiya Bano Age- 4 Month	<i>Case ID - 85578</i> Name- Alkija Bano Age- 3 Month	<i>Case ID - 85593</i> Name- Arshi Khan Age- 2 Month
<i>Case ID - 85594</i> Name- Nadim Khan Age- 2 Month	<i>Case ID - 85687</i> Name- Mushkan Suman Age- 3 Month	<i>Case ID - 55688</i> Name- Priyanshi Suman Age- 4 Month	<i>Case ID - 100390</i> Name- Kanak Shivhare Age- 1 Month
<i>Case ID - 100622</i> Name- Jainav Khan Age- 7 Month	<i>Case ID - 100623</i> Name- Priyanshi Dhuliya Age- 2 Month	<i>Case ID - 102795</i> Name- Naina Baiwa Age- 3 Month	<i>Case ID - 102659</i> Name- Areva Bano Age- 3 Month
<i>Case ID - 104660</i> Name- Rukshana Gurjar Age- 9 Month	<i>Case ID - 104670</i> Name- Kumkum Gurjar Age- 4 Month	<i>Case ID - 107138</i> Name- Varsha Batham Age- 2 Month	<i>Case ID - 107139</i> Name- Abhika Baiwa Age- 8 Month
<i>Case ID - 107140</i> Name- Kajal Baiwa Age- 2 Month			

Handicapped Certificate

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित चाइल्डलाइन श्योपुर टीम द्वारा - 15 शारीरिक एवं मांसिक विकलांग बालक व बालिकाओं के विकलांग प्रमाण पत्र बनवाये गये। जिससे उन्हें विकलांगों से सम्बन्धित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होने लगा।

<i>Case ID - 69483</i> Name- Bhavna Panchal Age- 13 Year	<i>Case ID - 69484</i> Name- Pankaj Mahor Age- 12 Year	<i>Case ID - 71358</i> Name- Pankaj Mahor Age- 15 Year	<i>Case ID - 74566</i> Name- Pinky Prjapati Age- 16 Year
<i>Case ID - 83895</i> Name- Manish Adiwasi	<i>Case ID - 85007</i> Name- Vishnu Suman	<i>Case ID - 93773</i> Name- Raju Jataw	<i>Case ID - 101322</i> Name- Sameer Khan

<i>Age- 8 Year</i>	<i>Age- 5 Year</i>	<i>Age- 16 Year</i>	<i>Age- 12 Year</i>
<i>Case ID - 102781</i>	<i>Case ID - 102847</i>	<i>Case ID - 102855</i>	<i>Case ID - 102857</i>
<i>Name- Pawan Bairwa</i>	<i>Name- Ashish Bairwa</i>	<i>Name- Jitendra Suman</i>	<i>Name- Vijay Adiwasi</i>
<i>Age- 11 Year</i>	<i>Age- 12 Year</i>	<i>Age- 6 Year</i>	<i>Age- 12 Year</i>
<i>Case ID - 102925</i>	<i>Case ID - 103177</i>	<i>Case ID - 105063</i>	<i>Case ID - 105064</i>
<i>Name- Lekhraj Adiwasi</i>	<i>Name- Satbhan Rawat</i>	<i>Name- Raveendra Suman</i>	<i>Name- Rachna Suman</i>
<i>Age- 12 Year</i>	<i>Age- 7 Year</i>	<i>Age- 17 Year</i>	<i>Age- 11 Year</i>

Mr. Jaisingh Jadon
Director
Childline Sheopur
Mahatma Gandhi Seva Ashram
Pali Road, Sheopur- 476337

Mr. Viplove Sharma
Co-ordinator
Childline Sheopur
Mahatma Gandhi Seva Ashram
Pali Road, Sheopur- 476337